



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082023-247863  
CG-DL-E-04082023-247863

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]  
No. 462]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2023/श्रावण 13, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2023/SHRAVANA 13, 1945

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 591(अ).—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ज), खंड (ट), खंड (ठ) से खंड (टझ) तक, खंड (डक), खंड (थक), खंड (धक) से खंड (धग) तक, खंड (बक), खंड (बख), खंड (भक) और खंड (भख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: —

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में, -
  - खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात: -

“(ii-ख) “सभापति” से धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का सभापति अभिप्रेत है;”,
  - खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

“(v-क) “इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री” से नियम 37घ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक संग्रह या भंडारण सिस्टम अभिप्रेत है;”
- खण्ड (xiii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: -

“उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016; (2016 का 18) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) या उन अधिनियमों के अधीन जारी किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं, या निदेशों के अधीन परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः हैं।”

3. मूल नियम में, अध्याय 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**“अध्याय 2क**

**बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड**

**11क. विवेकपूर्ण मानदंड.-** (1) बचत और उधार का कारबार करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को उनकी जमा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में श्रेणीकृत किया जाएगा-

(क) सूक्ष्म;

(ख) लघु;

(ग) मध्यम; और

(घ) विशाल।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सोसाइटियों की विभिन्न श्रेणियों के विवेकपूर्ण मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकेंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) नए रजिस्ट्रीकरण की दशा में कारबार आरंभ करने के लिए अपेक्षित समादत्त पूंजी और प्राधिकृत शेयर पूंजी का न्यूनतम कुल मूल्य;

(ख) विभिन्न स्तरों में पूंजी का श्रेणीकरण और प्रत्यक्ष स्तर की सीमा;

(ग) विभिन्न मदों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात और जोखिम का आकलन;

(घ) तरलता प्रबंधन हेतु बफर की आवश्यकता;

(ङ) व्यक्तिगत या सामूहिक उधारकर्ताओं, कुल उधारकर्ताओं और क्षेत्रक उधारकर्ताओं की दशा में अभिदर्शन की सीमा;

(च) शाखा विस्तारण के मानदंड; और

(छ) प्रकटन।

**11ख. किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा ऋण देने पर निर्बंधन-** (1) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपने शेयरों की प्रतिभूति के विरुद्ध किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम नहीं देगी।

(2) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने बोर्ड के किसी सदस्य, जिसमें उसके रिश्तेदार भी हैं, को दिए गए ऋण और उनके विरुद्ध बकाया कुल राशि का किसी भी समय सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सभी ऋणों की कुल राशि के दस प्रतिशत से अनधिक और उसके सदस्यों पर बकाए से अधिक नहीं होगा।

(3) कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी किसी व्यक्ति को या उसके द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के किसी शेयर या किया गया या किए जाने वाले अभिदान के प्रयोजन से या उसके संबंध में क्रय के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और किसी ऋण, गारंटी, प्रतिभूति के माध्यम से या अन्यथा कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।”।

4. मूल नियम में, नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

**“19. चयन समिति की संरचना -** (1) प्राधिकरण के सभापति, उपसभापति और उसके प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे —

(क) सचिव, सहकारिता मंत्रालय, - पदेन सभापति;

(ख) केन्द्रीयपंजीयक, पदेन सदस्य;

(ग) अपर सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, पदेन सदस्य; और

(घ) सहकारिता मंत्रालय के भारसाधक मंत्री द्वारा नामित सहकारी क्षेत्र के दो विशेषज्ञ ।

(2) चयन समिति प्राधिकरण के सभापति, उपसभापति और सदस्यों के नामों की सिफारिश करने की प्रक्रिया का स्वयं विनियमन कर सकेगी ।

**19क. प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव -** प्राधिकरण में ऐसा कोई सदस्य नियुक्त नहीं होगा, जब तक वह कोई योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठावान व्यक्ति न हो और जिसे सहकारिता, विधि या लोक प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों की अवधि का अनुभव न हो:

परंतु प्राधिकरण में नियुक्त सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य महिला होगी ।

**19ख. प्राधिकरण के सभापति, उप-सभापति और सदस्यों के वेतन, भत्ते, और सेवा की शर्तें-** (1) सभापति, भारत सरकार के अपर सचिव को अनुज्ञेय, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते सहित वेतन प्राप्त करेगा ।

(2) उप-सभापति, भारत सरकार के संयुक्त सचिव को अनुज्ञेय, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते सहित वेतन प्राप्त करेगा ।

(3) सदस्यगण, भारत सरकार के निदेशक को अनुज्ञेय, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते सहित वेतन प्राप्त करेंगे ।

(4) सभापति, उप-सभापति या सदस्य के रूप में नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो पेंशन के माध्यम से कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो, या प्राप्त किया हो, या प्राप्त करने का हकदार हो, तो यथास्थिति ऐसे सभापति, उपसभापति या सदस्य का वेतन और भत्ते को, पेंशन की कुल राशि, यदि कोई हो, से घटाकर उसके द्वारा आहरण या आहरित किया जाएगा ।

(5) सभापति द्वारा दौरे पर या स्थानांतरण पर (प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के या प्राधिकरण में उसके कार्यकाल की समाप्ति पर गृहनगर जाने के लिए की गई यात्रा सहित) उसके यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ते, निजी सामान के परिवहन और अन्य समान मामलों की हकदारी भारत सरकार के अपर सचिव के लिए अनुज्ञेय समान वेतनमान और समान दर पर होगी ।

(6) उप-सभापति द्वारा दौरे पर या स्थानांतरण पर (प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के या प्राधिकरण में उसके कार्यकाल की समाप्ति पर गृहनगर जाने के लिए की गई यात्रा सहित) उसके यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ते, निजी सामान के परिवहन और अन्य समान मामलों की हकदारी भारत सरकार के संयुक्त सचिव के लिए अनुज्ञेय समान वेतनमान और समान दर पर होगी ।

(7) किसी सदस्य को, उसके द्वारा दौरे पर या स्थानांतरण पर (प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के या प्राधिकरण में उसके कार्यकाल की समाप्ति पर गृहनगर जाने के लिए की गई यात्रा सहित) उसके यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ते, निजी सामान के परिवहन और अन्य समान मामलों की हकदारी भारत सरकार के निदेशक के लिए अनुज्ञेय समान वेतनमान और समान दर पर होगी।

(8) सभापति, उप-सभापति और किसी सदस्य को सरकारी आवास की हकदारी नहीं होगी परंतु वह भारत सरकार के संबंधित ग्रेड के अधिकारियों पर लागू मकान किराया भत्ता का हकदार होगा ।

(9) सभापति, उप-सभापति और किसी सदस्य को प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के लिए किसी बैठक फीस की हकदारी नहीं होगी ।

(10) यदि प्राधिकरण के सभापति, उप-सभापति, और सदस्यों की सेवा शर्तें, जिनका इन नियमों में किसी विनिर्दिष्ट मामले में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, तो प्रत्येक दशा में केन्द्रीय सरकार को उसके निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा, और उस पर केन्द्रीय सरकार का लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

**19ग. सभापति की शक्तियां और कृत्य -** (1) सभापति, प्राधिकरण का प्रशासनिक अध्यक्ष होगा और उसके पास सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां होंगी ।

(2) सभापति को प्राधिकरण के कार्यों के प्रचालन में सामान्य पर्यवेक्षण और निदेशन की शक्तियां होंगी ।

(3) सभापति प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(4) सभापति प्राधिकरण की बैठकों की तारीख, समय और स्थान निर्धारित करेगा और बैठकों की कार्यसूची की मर्दों को अनुमोदित करेगा ।

- (5) यदि प्राधिकरण की बैठकें उसके मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर आयोजित की जानी हैं तो यह सभापति के विवेकाधिकार पर किया जाएगा।
- (6) सभापति बैठक की कार्यसूची में पूर्व में शामिल न हुए किसी अतिरिक्त मद को प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार हेतु शामिल कर सकता है।
- (7) सभापति प्राधिकरण के सदस्यों को उनके द्वारा अग्रिम में किए गए आवेदन पर अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान कर सकता है।

**19घ. सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के सभापति, उप-सभापति और सदस्यों के विरुद्ध जांच की प्रक्रिया –** (1) प्राधिकरण के सभापति, उप-सभापति या सदस्य को धारा 45ख के अधीन विनिर्दिष्ट आधार पर, धारा 45ख की उपधारा (2) के अधीन यथाअपेक्षित जांच के पश्चात् पद से हटाया जाएगा।

(2) धारा 45ख की उपधारा (2) के अधीन जांच करने के लिए, केन्द्रीय सरकार यथास्थिति, ऐसे सभापति, उपसभापति या किसी सदस्य, को नोटिस जारी करके कि क्यों उनके विरुद्ध जांच न की जाए और ऐसी जांच के लिए कारणों और आधार को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि (नोटिस तामील करने की तारीख से चौदह दिन से कम न हो) के भीतर उन आधारों पर उससे जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो केन्द्रीय सरकार एक जांच अधिकारी नियुक्त करेगी, जो उस व्यक्ति को या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति हेतु तारीख नियत करेगी।

(4) उपस्थिति के लिए नियत तारीख को, जांच अधिकारी संबंधित व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है को उसके विरुद्ध लगाए गए आधार स्पष्ट करेगा।

(5) जांच अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेजों या साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का अवसर देगा जो जांच के संदर्भ में उसे उपयुक्त लगे और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई को अगली तारीख तक स्थगित कर सकेगा और ऐसे साक्ष्यों पर विचार करने के लिए जांच अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंधों के अधीन उपबंधित प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा:

परंतु संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई से छूट दी जा सकेगी।

परंतु यह भी कि इस नियम के अधीन जांच के दौरान, जांच अधिकारी को ऐसे किसी व्यक्ति, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न हो, को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो जांच अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या संबंधित हो सकेगा, समन देकर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने की शक्ति होगी और यदि कोई व्यक्ति जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा में असफल, उपेक्षा या इंकार करता है, तो जांच अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच की कार्रवाई कर सकता है।

(6) नोटिस जारी होने की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर जांच अधिकारी द्वारा जांच पूरी की जाएगी और जांच में निष्कर्षों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

**19ङ. प्राधिकरण की बैठकें-** (1) प्राधिकरण अपने कारबार के संबंध में, जब कभी आवश्यक हो, बैठक करेगा।

- (2) प्राधिकरण, बैठकों के आयोजन की अपनी प्रक्रिया और अपने मध्य कार्य का वितरण स्वयं निर्धारित करेगा।
- (3) प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति, सभापति और उप-सभापति सहित तीन सदस्यों से कम की नहीं होगी।
- (4) रिक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से गणपूर्ति को अनुपातिक रूप से घटाया जा सकता है।

**19च. सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य -** सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन कराने के लिए प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) प्राधिकरण निर्वाचन कराने के प्रयोजन से, किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी सहित, जो किसी पद पर या ऐसे पदनाम और कर्तव्यों के साथ इस उद्देश्य से तैयार पैनल में से पर्यवेक्षकों, रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों सहित किसी व्यक्ति को नियुक्त करना:

परंतु ऐसे अधिकारी या कर्मचारी निर्वाचन के प्रयोजन से प्राधिकरण के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे;

(ख) प्राधिकरण, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिसका निर्वाचन कराया जा रहा है, से कोई परिसर, यान, सेवाएं, सूचना, दस्तावेज, कार्मिक, निधि, व्यय, सामग्री, या अन्य कोई सहायता की मांग कर सकेगा जो वह उचित समझे और ऐसी सेवा की मांग पर, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिससे ऐसी मांग की गई हो, द्वारा प्राधिकरण या उनके द्वारा उनकी ओर से प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को, जो भी दशा हो, परिसर, यानों या अन्य किसी सामग्री को तत्काल सुपुर्द करना या ऐसी कोई सहायता तत्काल प्रदान करना, बाध्यकारी होगा ;

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिसका निर्वाचन हो रहा है उस पर आचार संहिता का उपबंध करना व लागू करना, जो सोसाइटियों के कारबार की प्रकृति या श्रेणी के अनुसार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कार्यान्वित की जाएगी;

(घ) पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना, जो निर्वाचनों के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त किए जाएंगे और जो नियम 20क के अधीन निर्दिष्ट ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेंगे; और

(ङ) निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचनों के लिए ऐसे अन्य विशेष या सामान्य आदेश या निदेश जारी करेंगे जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो।

**19छ. निर्वाचन कराने की प्रक्रिया –** (1) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कराया जाएगा जिसकी नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और ऐसे नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य या कोई कर्मचारी नहीं होगा:

परंतु यह कि सोसाइटी का निर्वाचन कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की सहायता हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी के नाम से एक या एक से अधिक व्यक्तियों की भी नियुक्ति कर सकता है।

(2) रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रणाधीन और प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रणाधीन प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के सभी या किन्हीं कार्यों का निष्पादन कर सकने में सक्षम होगा:

परंतु यह कि कोई सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के ऐसे किसी कार्य का निष्पादन नहीं करेगा जो नामांकनों की जांच से संबंधित हो, जब तक कि रिटर्निंग अधिकारी उक्त कार्य निष्पादन से अपरिहार्य रूप से निरुद्ध न किया गया हो।

**19ज. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड का निर्वाचन कराने की प्रक्रिया –** (1) अधिनियम की धारा 45ज(8) के अनुसरण में, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का सभापति और मुख्य कार्यकारी बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति के न्यूनतम छह माह पूर्व प्राधिकरण को समय से निर्वाचन कराने के लिए सूचित करेगा और इस सूचना की प्रति केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भी भेजी जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन और जिसके बाद बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारियों का निर्वाचन सहित निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित करेगा और ऐसे कार्यक्रम में साधारण बैठक की तारीख होगी जिसमें निर्वाचन कराए जाएंगे।

परंतु धारा 123 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन नियुक्त प्रशासक के नियंत्रणाधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों पर भी इस उपनियम के उपबंध लागू होंगे।

परंतु यह भी कि धारा 123 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक उस सोसाइटी के संबंध में बोर्ड का कार्य निष्पादन करेगा जिसके लिए उसे प्रशासक नियुक्त किया गया है।

(3) प्राधिकरण इस नियम में संदर्भित सोसाइटियों के संबंध में निर्वाचन कराने के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा।

(4) नियम (3) के अधीन नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को साधारण बैठक की तारीख, समय व स्थान की सूचना भेजेगा और रिटर्निंग अधिकारी जहां कहीं संभव हो, ऐसी सूचना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में भी भेजेगा।

(5) जहां अन्य सहकारी सोसाइटीयां या बहुराज्य सहकारी सोसाइटीयां सदस्य हैं, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसी सोसाइटियों से उनके सभापति या अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी या धारा 38 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के

अनुसरण में ऐसी सहकारी सोसाइटी या अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के सम्यक रूप से प्राधिकृत सदस्य को प्रतिनिधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिनिधि कहा गया है) के रूप में नाम भेजने और साथ में सोसाइटी के बोर्ड का संकल्प तथा सभापति या अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी या सम्यक रूप से प्राधिकृत बोर्ड सदस्य का सम्यक रूप से अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर जिस पर सोसाइटी की मुहर लगी हो, इस प्रकार से मांगी जाएगी कि यह साधारण बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम स्पष्ट इक्कीस दिन पूर्व उसे प्राप्त हो जाए।

(6) जहां ऐसी सहकारी सोसाइटी या अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का बोर्ड नहीं है, वहां प्रशासक, या एक से अधिक प्रशासक होने पर, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात, सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रशासक, साधारण बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम इक्कीस स्पष्ट दिन पूर्व लिखित में अपने हस्ताक्षर से रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगा कि वह या मुख्य कार्यकारी साधारण बैठक में ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करेंगे और जहां नियत तारीख तक ऐसा कोई संकल्प या प्रतिनिधि का नाम सूचित करने के संबंध में संप्रेषण प्राप्त नहीं होता है या ऐसी तारीख के बाद प्रतिनिधि के नाम में परिवर्तन की कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उसे सदस्य सोसाइटियों के सदस्यों या प्रतिनिधियों की सूची में शामिल करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(7) प्रत्येक साधारण बैठक जिसमें निर्वाचन आयोजित किया जाना है, के लिए नया संकल्प आवश्यक होगा।

(8) यह बोर्ड के पदासीन निदेशकों या प्रशासक, जो भी दशा हो, का कर्तव्य होगा कि वह रिटर्निंग अधिकारी की अपेक्षानुसार सदस्यों का अद्यतित रजिस्टर या अन्य कोई रजिस्ट्रों को अपने साथ लाए और ऐसे अभिलेखों, रजिस्टर या रजिस्ट्रों को रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन के उद्देश्य से साधारण बैठक के लिए नियत की गई तारीख से तीस दिन पहले सौंप दे।

(9) सोसाइटी द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से आहुत की गई साधारण बैठक में निर्वाचन कराया जाएगा जिसके लिए सदस्यों को कम से कम चौदह दिनों की पूर्व नोटिस दी जाएगी। निर्वाचन कराने के लिए प्राधिकरण के पर्यवेक्षण में बैठक की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(10) प्राधिकरण के पर्यवेक्षण में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन कराने के लिए बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

(11) साधारण बैठक की नोटिस बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और उसकी शाखाओं, यदि कोई हो, के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी और इस नोटिस में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी, अर्थात्:

(क) निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या ;

(ख) निर्वाचन का क्षेत्र (उपविधियों में विनिर्दिष्ट) जिसमें से सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है ;

(ग) बोर्ड की सदस्यता की पात्रता हेतु उपविधियों में विनिर्दिष्ट अर्हताएं, यदि कोई हैं ;

(घ) रिटर्निंग अधिकारी का नाम, तारीख, स्थान और समय जिस दौरान सदस्यों द्वारा नामांकन कागज़ भरा जाएगा, वह तारीख जो निर्वाचन हेतु नियत तारीख से न्यूनतम स्पष्ट एक दिन पहले हो या यदि वह एक अवकाश का दिन है तो उससे पूर्ववर्ती दिन जो सार्वजनिक अवकाश न हो।

**स्पष्टीकरण-** इस नियम के प्रयोजन से शब्द 'सार्वजनिक अवकाश' से ऐसा कोई दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 (1881 का 26) की धारा 25 के अधीन या ऐसा कोई दिन जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, जो भी दशा हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए, जो भी दशा हो, सार्वजनिक अवकाश के रूप में अधिसूचित की गई हो ;

(ङ) वह तारीख और वह समय और स्थान जब नामांकन कागज़ों की जांच की जाएगी; और

(च) वह तारीख और समय तथा वह स्थान और समय जब मतदान होगा।

**19-स. सदस्यों और प्रतिनिधियों की सूची को तैयार करना -** (1) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उस तारीख के अनुसार जो मतदान के लिए नियत तारीख से तीस दिन पूर्व मतदान के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार की जाएगी और सूची की प्रतिलिपियों को सोसाइटी के कारबार के मूल स्थान और इसकी सभी शाखाओं, यदि कोई हो, के नोटिस बोर्ड पर निर्वाचन हेतु नियत तारीख के न्यूनतम पंद्रह दिन पूर्व चस्पा की जाएगी और इस सूची में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे -

(क) सदस्य का दाखिला संख्या और नाम, पिता या पति का नाम, और व्यष्टिक की दशा में ऐसे सदस्य का पता; और

- (ख) सदस्य सोसाइटी की दशा में सोसाइटी का प्रवेश संख्या और नाम, सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तावित प्रतिनिधि का नाम ; सदस्य सोसाइटी की दशा में प्रवेश संख्या, सोसाइटी का नाम, प्रतिनिधि का नाम और प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा जहां धारा 38 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन लघु निकाय गठित की गई है वहां प्रवेश संख्या, प्रतिनिधि का नाम और निर्वाचन क्षेत्र का नाम ।
- (2) सोसाइटी द्वारा सूची की प्रति किसी सदस्य को बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर दी जाएगी और जहां कोई शुल्क विनिर्दिष्ट नहीं है, वहां सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति दस रुपए के भुगतान पर ऐसी सूची देगा ।
- (3) रिटर्निंग अधिकारी प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम को भी प्रकाशित करेगा जिसमें नामांकनों की प्राप्ति, नामांकनों की जांच, नामांकन वापस लेना, मतदान, और यदि आवश्यक हो तो परिणामों की घोषणा की तारीख व समय विनिर्दिष्ट होंगे और सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर भी निर्वाचन कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में परिचालित समाचार पत्र में निर्वाचन की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व भी प्रकाशित किया जाएगा ।

**19ब. अभ्यर्थियों का नामांकन** - (1) निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन प्ररूप III में किया जाएगा जिसे आवेदन करने पर रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सोसाइटी के किसी सदस्य को निःशुल्क दिया जाएगा ।

- (2) प्रत्येक नामांकन प्ररूप पर दो सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे जिनके नाम सदस्यों या प्रतिनिधियों की सूची में शामिल हैं । इनमें से एक सदस्य प्ररूप पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेगा और दूसरा नामांकन के अनुसमर्थन में हस्ताक्षर करेगा । नामांकन प्ररूप में अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित उद्घोषणा होगी जिसमें निर्वाचन लड़ने की उसकी इच्छा व्यक्त होगी ।
- (3) प्रत्येक नामांकन प्ररूप अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा इस प्रयोजन से प्राधिकृत व्यक्ति को इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि यह निर्वाचन कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट तारीख और समय से पहले उसे प्राप्त हो जाए। रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी नामांकन प्ररूप में उसका क्रमांक प्रविष्ट करेगा और उसके द्वारा नामांकन प्राप्त करने की तारीख और समय प्रमाणित करेगा और नामांकन प्ररूप प्राप्त होने पर तत्काल लिखित पावती देगा जिस पर सोसाइटी की मुहर भी लगी होगी ।
- (4) नामांकन प्ररूप प्राप्त करने के नियत समय की समाप्ति पर रिटर्निंग अधिकारी, उसके द्वारा प्राप्त नामांकनों की सूची तैयार कर सोसाइटी की नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित करेगा और ऐसा कोई नामांकन प्ररूप जो उसकी प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय पर या उससे पहले प्राप्त नहीं होता है, को रद्द कर दिया जाएगा ।
- (5) बोर्ड के रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचन में ऐसे किसी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा यदि वह -

- (क) मतदान के लिए अपात्र हो;
- (ख) अर्हित न हो या अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में या बोर्ड के सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया गया हो; और
- (ग) बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएं नहीं रखता हो ।

**19ट. अधिनियम की धारा 43 और 44 का अनुपालन** - बोर्ड के सदस्य, और पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता अधिनियम की धारा 43 और 44 में निहित उपबंधों के अध्याधीन होंगी ।

**19ठ. नामांकन पत्र की छानबीन** - (1) नामांकन पत्र की छानबीन के लिए नियत दिन को -

- (क) रिटर्निंग अधिकारी निर्दिष्ट समय पर नामांकन पत्र की छानबीन का कार्य करेगा और अभ्यर्थी या प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक या अनुसमर्थक, नामांकन पत्र की जांच के समय उस स्थान पर उपस्थित रह सकता है ।

(ख) रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र की छानबीन करेगा और किसी अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या अनुसमर्थक द्वारा किसी नामांकन के संबंध में उठाई जाने वाली सभी आपत्तियों पर निर्णय देगा और ऐसी आपत्ति पर, आवश्यकतानुसार या तो नामांकन को स्वीकार या रद्द कर सकेगा:

परंतु यह कि किसी अभ्यर्थी का नामांकन इस नियम के पैरा (1) (क) में संदर्भित सदस्यों की सूची में प्रविष्ट उसके या उसके प्रस्तावक या अनुसमर्थक के नाम की गलत विवरण या अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या उसके अनुसमर्थक से संबंधित किसी अन्य विवरण के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा, यदि अभ्यर्थी, प्रस्तावक या अनुसमर्थक, जो भी दशा हो, की पहचान संदेह से परे स्थापित होती हो;

(ग) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार करने या रद्द करने, जो भी दशा हो, का निर्णय पृष्ठांकन करेगा, और यदि नामांकन कागज रद्द किया जाता है तो वह ऐसे रद्द किए जाने के कारणों का लिखित में एक संक्षिप्त विवरण दर्ज करेगा।

(घ) रिटर्निंग अधिकारी कार्यवाही के स्थगन की कोई अनुमति नहीं देगा सिवाए जब कार्यवाही दंगा या हंगामा या अन्य ऐसे कारण जो उसके नियंत्रण में नहीं है, अवरुद्ध या बाधित हो रही हो।

(ङ) नामांकन की जांच पूरी करने के दिन ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यथानिर्णीत विधिमान्य नामांकनों को सोसाइटी की नोटिस बोर्ड में प्रकाशित किया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र में प्रदत्त अभ्यर्थियों के नाम वर्णाक्रम के अनुसार अंग्रेजी में और पता वर्णाक्रम के अनुसार अंग्रेजी में होंगे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता लिखित में उसके द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस देकर और स्वयं उसे सुपूर्द करके या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा सुपूर्द करवा कर नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के बाद किसी भी समय परंतु निर्वाचन कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट ऐसी नामांकन वापसी की तारीख और समय से पूर्व अपना नामांकन वापस ले सकता है और अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता से हटने हेतु दिया गया नोटिस अपरिवर्तनीय होगा।

**19ड. मतदान -** (1) यदि किसी क्षेत्र में या निर्वाचन क्षेत्र में जहां निर्वाचन कराया जाना है, सदस्यों की संख्या जिनके नामांकन पत्र विधिमान्य घोषित किए गए हों, उस क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं है, तो रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन के प्रयोजन से आहुत साधारण बैठक में प्राधिकरण के अनुमोदन से उन्हें बोर्ड के निर्वाचन में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा। यदि विधिमान्य नामांकन वाले अभ्यर्थियों की संख्या किसी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है, तो रिटर्निंग अधिकारी नियत तारीख और समय पर इस प्रयोजन के लिए मतदान कराने की व्यवस्था करेगा और रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन कराने के लिए जितने मतदान अधिकारियों की आवश्यकता हो, उतनी संख्या में उनकी नियुक्ति करेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, **प्ररूप-IV** में रिटर्निंग अधिकारी को पत्र द्वारा, जहां मतदान हो रहा है वहां मतदाताओं की पहचान और मतदाता पर नज़र रखने के लिए स्वयं का प्रतिनिधित्व करने हेतु अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। ऐसे पत्र में संबंधित अभिकर्ता की लिखित में सहमति होगी।

(3) निर्वाचन कराए जाने वाले स्थल पर किसी व्यक्ति द्वारा मतों का पक्षप्रचार निषेध होगा।

(4) मतदान आरंभ होने के पहले, रिटर्निंग अधिकारी खाली मतपेटी को मतदान आरंभ होने से पूर्व उस समय उपस्थित व्यक्तियों को दिखाएगा और फिर उसे बंद कर उसपर अपना मुहर इस प्रकार से लगाएगा ताकि उसे मुहर तोड़े बिना खोला न जा सके और अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता यदि चाहे तो उसपर अपनी मुहर भी लगा सकता है।

(5) प्रत्येक सदस्य या प्रतिनिधि जो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है को एक मत पत्र दिया जाएगा जिस पर निर्वाचन में खड़े अभ्यर्थियों का नाम वर्णाक्रम में सुविधा के अनुसार या तो मुद्रित, टंकित या साइक्लोस्टाइल्ड किया होगा और मतपत्र में सोसाइटी की मुहर भी लगी होगी, और मतपत्र के पीछे रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर भी होगा और इसमें एक स्तंभ भी होगा जिसमें मतदाता जिस व्यक्ति को अपना मत देना चाहते हैं, उसके नाम के विरुद्ध 'X' का निशान लगाकर अपना मत देंगे।

(6) प्रत्येक मतदान केंद्र और जहां एक केन्द्र में एक से अधिक मतदान बूथ हैं, वहां प्रत्येक बूथ में एक पृथक कंपार्टमेंट होगा जिसमें सदस्य या प्रतिनिधि गोपनीयता के साथ अपना मत डाल सकते हैं।

(7) मतदान करने को इच्छुक प्रत्येक सदस्य सोसाइटी द्वारा उसे दिए गए पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र में प्रवेश करेगा; मतदान अधिकारी सदस्यों की सूची या मतदान केन्द्र में मतदान करने वाले पात्र सदस्यों या प्रतिनिधियों की सूची जो उसे उपलब्ध कराई गई है, के संदर्भ में सदस्य से प्रश्न पूछकर उसकी पहचान करेगा और यदि मतदान



अधिकारी सदस्य की पहचान से संतुष्ट होता है और मतदान केंद्र में उपस्थित किसी अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता से कोई आपत्ति नहीं होती है, तो वह मतपत्र पर ही छिद्रित अधपन्ने पर उक्त सदस्य या प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगुठे की छाप लेकर उसे मत पत्र जारी करेगा और अधपन्ने पर मतपत्र का क्रमांक और अन्य विवरण होगा तथा मतपत्र प्राप्त करने के बाद, सदस्य पृथक स्थापित मतदान कंपार्टमेंट जाएगा और पूरी गोपनीयता के साथ अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों, जो भी दशा हो, के नाम के आगे जिसे वह अपना मत देना चाहता है, 'X' का चिह्न लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतपत्र को इस प्रयोजन हेतु रखी मतपेटी में डालेगा।

परंतु कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक दिव्यांगता या निरक्षरता के कारण यदि कोई सदस्य मतपत्र पर निशान लगाने में असमर्थ है तो मतदान अधिकारी, और जहां ऐसे मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं हैं, वहां रिटर्निंग अधिकारी उससे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का नाम सुनिश्चित करेगा जिसके पक्ष में वह अपना मत देने को इच्छुक है और उसकी ओर से 'X' का निशान लगाकर मतपत्र को मतपेटी में डालेगा।

- (8) प्रत्येक सदस्य जिसका नाम मतदान के लिए पात्र सदस्यों/प्रतिनिधियों की सूची में प्रविष्ट है, जिसे मतदान अधिकारी को सुपुर्द किया गया है, को अपना मतदान करने का हक है जबतक कि उसकी पहचान के विरुद्ध अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा आपत्ति न हो। यदि किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कोई आपत्ति आती है या यदि मतदान अधिकारी को कोई तर्कसंगत संदेह को, तो वह मामले को रिटर्निंग अधिकारी को संदर्भित करेगा जो एक संक्षिप्त जांच करके सोसाइटी के रिकॉर्ड के संदर्भ में आपत्ति पर निर्णय करेगा।
- (9) रिटर्निंग अधिकारी किसी अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी सदस्य की पहचान से संबंधित किसी आपत्ति पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि आपत्ति करने वाले व्यक्ति ने प्रत्येक ऐसे मत के लिए 5/- रुपए की फीस का संदाय न कर दिया हो और रिटर्निंग अधिकारी तत्पश्चात् आपत्ति पर विचार करेगा और मतदान करने आए सदस्य से उसके अंगुठे की छाप या हस्ताक्षर, जो भी दशा हो, उसकी पहचान का वर्णन करने वाली उद्घोषणा पर लेगा और यदि वह ऐसा करने से इंकार करता है तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि दूसरी ओर, ऐसी संक्षिप्त छानबीन पर रिटर्निंग अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार सदस्य की पहचान स्थापित हो जाती है तो मतदान अधिकारी मतपत्र जारी करेगा और सदस्य को तब मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसी दशा में भुगतान की गई आपत्ति फीस जव्त कर ली जाएगी।
- (10) मतदान के अंत में रिटर्निंग अधिकारी एकत्रित आपत्ति फीस, आपत्ति करने वाले व्यक्तियों को वापस की गई फीस और जव्त की गई फीस का हिसाब तैयार करेगा और साथ में प्रत्येक मामले में संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसके द्वारा लिए गए निर्णयों का संक्षिप्त सार सोसाइटी को देगा।
- (11) यदि मतदान के किसी चरण में, दंगा या हंगामा द्वारा कार्यवाही अवरुद्ध या बाधित होती है या यदि ऐसे निर्वाचन में किसी पर्याप्त कारणों से मतदान कराना संभव नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी को मतदान रद्द करने के ऐसे कारणों को अभिलेखित करने के पश्चात्, मतदान रद्द करने की शक्ति होगी।
- (12) मतदान के लिए नियत समय के पश्चात् किसी मतदाता को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।  
परंतु कि यदि कोई मतदाता, मतदान के समय की समाप्ति के पूर्व परिसर में प्रवेश कर चुका हो तो उसे मतपत्र जारी कर मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
- (13) मतदान की समाप्ति के ठीक पश्चात् मतगणना आरंभ की जाएगी और यदि रिटर्निंग अधिकारी के नियंत्रण से परे यदि मतों की गणना तुरंत संभव नहीं है तो मतपेटी को रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन में खड़े अभ्यर्थियों या उनके एजेंटों के मुहरों से मुहरबंद कर दिया जाएगा, और यदि यह उनकी इच्छा हो तो मतपेटियां सोसाइटी की सुरक्षित अभिरक्षा में जमा कर दी जाएगी और ऐसी स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी अगले दिन आरंभ होने वाली मतगणना का स्थान और समय की घोषणा करेगा और अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ताओं को लिखित में भी सूचित करेगा और मतगणना अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी और उनके प्राधिकृत अभिकर्ता को मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा तथा किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मतगणना में अनुपस्थित रहने से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना या परिणाम की घोषणा निष्प्रभावी नहीं होगी।
- (14) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना की समाप्ति के पश्चात्, वह मतदान के परिणाम की एक विवरणी तैयार करेगा और प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन से तुरंत परिणाम घोषित करेगा।

(15) रिटर्निंग अधिकारी, परिणामों की घोषणा के ठीक पश्चात् निर्वाचन की कार्यवाहियों को एक रिपोर्ट में अभिलेखित करेगा जो सोसाइटी के अभिलेखों का भाग होगा और रिटर्निंग अधिकारी तुरंत ही इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि और साथ में मतदान के परिणाम की विवरणी की एक प्रतिलिपि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी और प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

**19द. गोपनीय मतपत्र द्वारा पदाधिकारियों का निर्वाचन -** (1) बोर्ड के सदस्य के निर्वाचन के ठीक पश्चात् ही रिटर्निंग अधिकारी, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी के अध्यक्ष या सभापति, उपाध्यक्ष या उपसभापति या अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के निर्वाचन के लिए नवनिर्वाचित बोर्ड की बैठक प्राधिकरण के निदेशों पर बुलाएगा और बोर्ड की ऐसी बैठक तब तक नहीं होगी जब तक कि सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार नवनिर्वाचित बोर्ड के सदस्यों की बहुमत संख्या उपस्थित न हो।

(2) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आहुत ऐसी बैठक में, गुप्त मतदान द्वारा पदाधिकारियों के निर्वाचन के प्रयोजन से वह बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) रिटर्निंग अधिकारी पदाधिकारियों के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित करेगा जिसमें निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, तारीख, स्थान और समय जिस दौरान सदस्यों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरा जाना है; वह तारीख और समय तथा स्थान जब नामांकन प्रपत्रों की जांच की जाएगी; नामांकन वापस लेने की तारीख और समय; तथा वह तारीख और स्थान जब मतदान, यदि आवश्यक हो, तो कराया जाएगा, उल्लिखित होगा और रिटर्निंग अधिकारी बोर्ड के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना देगा और इच्छुक सदस्य अपने नामांकन **प्ररूप-V** में रिटर्निंग अधिकारी को ऐसी बैठक में प्रस्तुत करेंगे और रिटर्निंग अधिकारी किसी नामांकन के समय पर की गई आपत्तियों, यदि कोई हो, का निर्णय करेगा और संक्षिप्त जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् विधिमान्य नामांकनों की सूची की घोषणा करेगा।

(4) यदि किसी पद के लिए निर्वाचन किया जाना है तो अभ्यर्थियों, जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं की संख्या, उस पद की रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं है, तो वैध नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पद पर निर्वाचित माना जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी इस संबंध में प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से इसकी घोषणा करेगा और यदि अभ्यर्थियों, जिसके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं की संख्या, उस पद की रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान कराया जाएगा और वह तत्पश्चात्, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करेगा।

(5) रिटर्निंग अधिकारी इसके ठीक पश्चात् पदाधिकारियों के निर्वाचन की कार्यवाहियों को एक रिपोर्ट में अभिलेखित करेगा जो सोसाइटी के अभिलेख का एक भाग होगा और सभी पर बाध्यकारी होगा। रिटर्निंग अधिकारी ऐसी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि के साथ मतदान की विवरणी की एक प्रतिलिपि प्राधिकरण को सौंपेगा।

(6) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन के परिणाम की घोषणा प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से करेगा।

(7) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा के पश्चात्, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी द्वारा निर्वाचन प्रमाणपत्र तुरंत जारी किए जाएंगे।

**19-ग. मतगणना के लिए नियत स्थान पर प्रवेश -** (1) रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना के लिए नियत स्थान से निम्नलिखित के सिवाए, सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा,—

(क) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह गणना में सहायता हेतु नियुक्त करे;

(ख) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(ग) निर्वाचन से संबंधित झूटी पर लोक सेवक; और

(घ) अभ्यर्थी।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को जो निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिए अन्यथा कार्य कर रहा हो, उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति जो मतगणना के दौरान कदाचार करता है या रिटर्निंग अधिकारी के विधिक निदेशों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे मतगणना स्थल से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या निर्वाचन झूटी पर तैनात किसी पुलिस कर्मी द्वारा या इस निमित्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा हटा दिया जाएगा।

**19त. मतपत्र की अस्वीकृति** – (1) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा, यदि-

- (क) इस पर कोई चिह्न या लेख हो जिसके द्वारा मतदान करने वाले सदस्य की पहचान हो सके; या
  - (ख) इस पर सोसाइटी की मुहर न लगी हो या रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर न हो; या
  - (ग) इस पर मतदान का चिह्न ऐसे स्थान पर लगा हो जिससे यह संदेह उत्पन्न हो कि किस अभ्यर्थी को मत डाल दिया गया है; या
  - (घ) यह ऐसा क्षतिग्रस्त या विकृत हो कि यह पहचान स्थापित न हो रही हो कि यह एक प्रामाणिक मतपत्र है।
- (2) यदि मतगणना की समाप्ति के पश्चात्, अभ्यर्थियों के बीच मतों की बराबरी होती है और एक मत जुड़ने से दोनों में से किसी एक को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है, तो रिटर्निंग अधिकारी तुरंत इन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी द्वारा निर्णय करते हुए आगे की कार्रवाई ऐसे करेगा मानों उस अभ्यर्थी को एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ है और उसे निर्वाचित घोषित करेगा।

**19थ. कराए गए निर्वाचन की अभिरक्षा**- निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात्, रिटर्निंग अधिकारी बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों और संबंधित अभिलेखों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी को मुहरबंद लिफाफे में सुपुर्द करेगा और निर्वाचन संबंधी सभी दस्तावेजों को मुख्य कार्यकारी द्वारा निर्वाचन की तारीख से छह मास की अवधि तक या जब तक निर्वाचन संबंधी विवाद, यदि कोई हो, का निपटान न हो जाए, जो भी पश्चात्बर्ती हो तक संरक्षित रखा जाएगा और तत्पश्चात् इसे नष्ट कर दिया जाएगा।

**19द. मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु** – यदि निर्वाचन में खड़े अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और रिटर्निंग अधिकारी को मतदान के आरंभ होने से पहले उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् मतदान को रद्द करेगा और प्राधिकरण को निर्वाचन से संबंधित कार्यवाहियों के साथ सूचित करेगा, और निर्वाचन को ऐसे आरंभ किया जाएगा मानो यह एक नया निर्वाचन हो:

परंतु मतदान रद्द होने के समय निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या ऐसे व्यक्ति की दशा में पुनः किसी और नामांकन की आवश्यकता नहीं होगी:

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने मतदान रद्द होने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए नोटिस दिया है, निर्वाचन के ऐसे रद्द होने के पश्चात् अभ्यर्थी के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह भी कि निर्वाचन रद्द होने के पूर्व ऐसे अभ्यर्थी जिसका नामांकन स्वीकार किया गया था, निर्वाचन रद्द होने के पश्चात् ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता वापस लेने के नए नोटिस को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**19ध. मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों तैयार करना** - यदि प्राधिकरण मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग करने का निर्णय लेता है तो वह इसकी प्रक्रिया निदेशित करेगा जो जहां तक तकनीकी रूप से यथाशक्य हो, इन नियमों के अनुसार होगी।

**19न. निर्वाचन व्यय** – निर्वाचन संबंधी सभी व्यय जिसमें लेखन सामग्री, मुद्रण, डाक, फोटोकॉपी, फैक्स, मत पेटी का किराया, अमिट स्याही, पुलिस सुरक्षा और अन्य ऐसे व्यय की वस्तुओं पर होने वाले व्यय जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के प्रतिनिधियों या निदेशकों के निर्वाचन से संबंधित है, जैसे मतदाता सूची की तैयारी, यात्रा और अन्य भत्ते, और रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, और अन्य मतदान कर्मियों को देय पारिश्रमिक का वहन सोसाइटी द्वारा किया जाएगा और प्राधिकरण के निदेश पर प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा।

**19प. निर्वाचन व्यय का लेखा** - (1) निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन कराने के आदेश की तारीख से उसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों तारीख सम्मिलित, तक निर्वाचन से संबंधित उसके द्वारा या उसके प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए सभी व्ययों का एक पृथक और सही लेखा परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिनों की अवधि तक रखेगा।

(2) इन लेखों में ऐसी विशिष्टियां सम्मिलित होंगी जो नियम 19ब में निर्दिष्ट विवरणों के अतिरिक्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) उक्त व्यय की कुल रकम, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गई कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

(4) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्यय के लेखा को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट रीति और समय पर प्रस्तुत करेगा।

**19फ. निर्वाचन व्यय फाइल करने में विफल होने पर निरर्हता** - यदि प्राधिकरण, रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट हो कि कोई व्यक्ति, नियम 19प में विनिर्दिष्ट समय पर और रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा फाइल करने में विफल रहता है, और इस विफलता के लिए कोई संतोषजनक कारण या औचित्य न हो, तो प्राधिकरण राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या बने रहने से अयोग्य घोषित कर देगा और ऐसा कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निरर्हित होगा।

**19ब. निर्वाचन व्यय लेखा का विवरण** - (1) किसी अभ्यर्थी द्वारा रखे जाने वाला निर्वाचन व्यय लेखा में प्रतिदिन प्रत्येक मद पर किए गए व्यय का ब्यौरा होगा, अर्थात्:—

(क) वह तारीख जब व्यय का वहन किया गया या प्राधिकृत किया गया;

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण यात्रा, डाक या मुद्रण, आदि);

(ग) व्यय की रकम:—

(i) संदत्त रकम;

(ii) बकाया रकम;

(घ) संदाय की तारीख;

(ङ) संदाय पाने वाले का नाम व पता;

(च) संदाय की दशा में वाउचर की क्रम संख्या;

(छ) बकाया रकम की दशा में, यदि कोई हो, बिल की क्रम संख्या;

(ज) उस व्यक्ति का नाम व पता जिसे बकाया रकम का संदाय करना है।

(2) अभ्यर्थी द्वारा सभी वाउचरों को निर्वाचन व्यय के साथ, संदाय की तारीख के अनुसार और क्रमांक देते हुए रखा जाएगा और ऐसे क्रमांक को उपनियम (1) के मद (च) के अधीन लेखा में प्रविष्ट किया जाएगा।

(3) उन मदों के संबंध में जिनके व्यय पर वाउचर प्राप्त नहीं किए गए हैं, के संबंध में उपनियम (1) की मद (ग) में वर्णित विवरण देना आवश्यक नहीं है।

**19भ. लेखा की जांच हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस**

रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने की तारीख से दो दिनों के भीतर उसके नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा करेगा जिसमें विनिर्दिष्ट होगा:—

(क) लेखा प्रस्तुत करने की तारीख;

(ख) अभ्यर्थी का नाम; और

(ग) वह समय और स्थान जहां ऐसे लेखा की जांच की जा सकेगी।

**19म. आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति** - (1) किसी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, निरर्हता या पदच्युति या किसी सदस्य के पद के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कार्य करने में अक्षमता के माध्यम या अन्यथा हुई वैकल्पिक रिक्तियों को, अधिनियम की धारा 45अ की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का मुख्य कार्यकारी ऐसी रिक्तियों की सूचना, इसके उद्भूत होने के एक सप्ताह के भीतर प्राधिकरण को संसूचित करेगा, जो अधिनियम की धारा 45अ के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों को भरने की कार्रवाई करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 45अ के उपबंधों के अनुसार वैकल्पिक रिक्तियों में नियुक्त कोई व्यक्ति अधिशेष अवधि तक ही बोर्ड का सदस्य रहेगा, जब तक वह बोर्ड के सदस्य जिसके स्थान पर नियुक्त हुआ है, रहेगा।

**19य. मतदान की गोपनीयता का अनुरक्षण** - प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में अभिलेखन या मतगणना से जुड़ा कार्य निष्पादन कर रहा है, मतगणना की गोपनीयता अनुरक्षित करेगा और अनुरक्षण करने में मदद करेगा और किसी अन्य व्यक्ति को (सिवाए कुछ प्रयोजनों के लिए किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत) ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए मतदान से संबंधित कोई सूचना संप्रेषित नहीं करेगा।

**5. मूल नियमों में, नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्: -**

**“20. किसी निर्वाचन में अधिकारियों, आदि का अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करना या मतदान प्रभावित न करना -**  
(1) किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति जो रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन या मतदान अधिकारी है, या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन से जुड़ी किसी ड्यूटी के निष्पादन के लिए नियुक्त कोई अधिकारी या लिपिक निर्वाचन कराने के प्रबंधन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना को अग्रसर करने के लिए कोई कृत्य (यदि सदस्य के रूप में पात्र है तो मतदान करने के अतिरिक्त) नहीं करेगा।

(2) उपर्युक्त ऐसा कोई व्यक्ति और पुलिस बल का कोई सदस्य निम्नलिखित का प्रयास नहीं करेगा—

(क) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति को अपना मत देने के लिए प्रभावित, या

(ख) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति को अपना मतदान करने से हतोत्साहित, या

(ग) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति को किसी भी रीति से मतदान करने के लिए प्रेरित।

**20क. पर्यवेक्षकों के कार्य-** प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के कार्य, प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण व पर्यवेक्षण में संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना और रिटर्निंग अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को निदेश देना है जिससे किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का सुचारू और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हो सके।

**20ख. सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा निदेश-** इस अधिनियम और इसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए समय-समय पर यथा आवश्यक निदेश जारी करेंगे और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी और स्टाफ को प्राधिकरण द्वारा जारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा।”

**6. मूल नियमों में, नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -**

**“25.सहकारी शिक्षा निधि -** (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, प्रति वर्ष अपने शुद्ध लाभ की एक प्रतिशत राशि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित सहकारी शिक्षा निधि के खाते में अंशदान के रूप में जमा करेगी।

(2) सहकारी शिक्षा निधि को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित सोसाइटी द्वारा अनुरक्षित और प्रशासित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) सचिव, सहकारिता मंत्रालय - अध्यक्ष;

(ख) केन्द्रीय रजिस्ट्रार - सदस्य;

(ग) सहकारिता मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार - सदस्य;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों से रोटेशन के आधार पर नामांकित किए जाने वाले दो प्रतिनिधि - सदस्य;

(ङ) सचिव, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली- सदस्य;

(च) मुख्य कार्यकारी, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लि., नई दिल्ली- सदस्य;

(छ) निदेशक, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पुणे- सदस्य; और

(ज) राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि

(3) केन्द्रीय सरकार सहकारी शिक्षा निधि को एक पृथक खाते में अनुरक्षित करेगी और ब्याज द्वारा प्राप्त या इस निधि में अंशदान से अन्यथा प्रोद्भूत सभी आय को इस निधि में जमा किया जाएगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन गठित सोसाइटी के अनुमोदन के बिना सहकारी शिक्षा निधि से कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

(5) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लि. द्वारा अनुरक्षित सहकारी शिक्षा निधि की अतिशेष राशि को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लि. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित सहकारी शिक्षा निधि में, इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख को अंतरित किया जाएगा; अर्थात् :-

- (6) समय-समय पर सोसाइटी द्वारा दिए गए निदेशों के अध्यक्षीन सहकारी शिक्षा निधि को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों, निदेशकों सहित पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा आम जनता को सहकारिता के सिद्धांतों और आचरण की शिक्षा देने के लिए;
  - (ख) बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में मानव संसाधन विकास के लिए;
  - (ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के विकास के लिए;
  - (घ) क्षमता निर्माण और कारबार प्रबंधन के लिए;
  - (ङ) पेशेवर बनाने के लिए;
  - (च) तकनीकी उन्नयन के लिए;
  - (छ) शिक्षा, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, अनुसंधान, श्रमबल एवं शक्ति तथा संबंधित अवसंरचनाओं के लिए;
  - (ज) अनुसंधान एवं विकास के लिए;
  - (झ) सामान्य रूप से सहकारी आंदोलन के विकास के लिए;
  - (ञ) सहकारी जागरुकता और प्रचार के लिए;
  - (ट) सहकारी आंदोलन से संबंधित पुस्तकों और जर्नलों के प्रकाशन के लिए;
  - (ठ) सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में अनुसंधान, केस अध्ययन और शिक्षा के लिए;
  - (ड) सहकारी आंदोलन को अग्रसर करने में उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने हेतु पुरस्कार, या मानदेय प्रदान करने के लिए; और
  - (ढ) सहकारी आंदोलन को सशक्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य प्रयोजन के लिए।”
7. मूल नियमों में, अध्याय 5 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

### “अध्याय 5क

#### सहकारी ऑम्बुड्समैन

**30क. ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति और उसका क्षेत्राधिकार-** (1) केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे ऑम्बुड्समैन को सौंपे गए कार्य करने के लिए एक या एक से अधिक सहकारी ऑम्बुड्समैन नियुक्त करेगा, और केन्द्रीय सरकार ऐसी नियुक्त प्रत्येक ऑम्बुड्समैन के लिए प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अधिसूचित करेगा।

- (2) ऑम्बुड्समेन एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम दस वर्षों का अनुभव, भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य, और सहकारी प्रबंधन, बैंकिंग, लेखांकन, विधि, लोक प्रशासन का विशेष ज्ञान व अनुभव होगा या सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा जो जिला न्यायाधीश के रैंक के नीचे का न हो या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी होगा जो निदेशक के पद के नीचे का नहीं होगा।
- (3) ऑम्बुड्समैन को वह वेतन और मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते प्राप्त होगा जो भारत सरकार के निदेशक को अनुमत है।
- (4) किसी व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में जो पेंशन के माध्यम से सेवानिवृत्ति के लाभ प्राप्त कर रहा है, या प्राप्त कर चुका है, या प्राप्त करने का हकदार है, तो ऐसे व्यक्ति के वेतन और भत्ते से ऐसी पेंशन की कुल राशि, यदि कोई हो, को घटाकर उसके द्वारा आहरण या आहरित किया जाएगा।
- (5) ऑम्बुड्समैन द्वारा दौरे पर या स्थानांतरण पर (कार्यभार ग्रहण करने के लिए या उसके कार्यकाल की समाप्ति पर गृहनगर जाने के लिए की गई यात्रा सहित) उसके यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ते, निजी सामान के परिवहन और अन्य समान मामलों की हकदारी भारत सरकार के निदेशक के लिए लागू समान वेतनमान और समान दर पर होगी।

- (6) ऑम्बुड्समैन सरकारी आवास का हकदार नहीं होगा परंतु उसे भारत सरकार के निदेशक को लागू गृह किराया भत्ता मिलेगा।
- (7) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति की जाएगी।

**30ख. ऑम्बुड्समैन का कार्यकाल** - ऑम्बुड्समैन का कार्यकाल उसके पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि का होगा या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु को प्राप्त न कर ले, इनमें से जो भी पहले हो, और वह एक और कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।

**30ग. ऑम्बुड्समैन का कार्यालय**- ऑम्बुड्समैन का कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसकी अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

**30घ. अधिकारीगण व स्टाफ**- केन्द्रीय सरकार ऑम्बुड्समैन को ऐसे अधिकारीगण व स्टाफ प्रदान करेगी जो वह ऑम्बुड्समैन द्वारा कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक समझे।

**30ङ. ऑम्बुड्समैन द्वारा विचार की जाने वाली शिकायतें व अपील** - ऑम्बुड्समैन सदस्यों से निम्नलिखित श्रेणियों की शिकायतों व अपीलों पर विचार करेगा:

- (क) धारा 85क (1) की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की जमा, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कार्यकरण का समानुपाति लाभ; एवं ऐसे सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों से संबंधित सदस्यों की शिकायतें; और
- (ख) सहकारी सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध धारा 106 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों की अपीलें:

परंतु यह कि धारा 84 के अधीन पूर्व या चल रही मध्यस्थता कार्यवाही की किसी विषय वस्तु वाला कोई विवाद, या कोई अन्य लम्बित और निष्पादित कार्यवाही को ऑम्बुड्समैन के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जाएगा।

**30च. ऑम्बुड्समैन के समक्ष शिकायतकर्ता या अपीलकर्ता की प्रकृति** - किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का असंतुष्ट सदस्य अपनी शिकायत या अपील, जो भी मामला हो, ऑम्बुड्समैन के समक्ष या तो स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकता है:

परंतु यह कि इस नियम के प्रयोजन से ऑम्बुड्समैन के समक्ष शिकायत या अपील फाइल करने पर 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' में अधिवक्ता सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**30छ. शिकायत या अपील का अ-पोषणीय होना** - (1) कोई शिकायत या कोई अपील, जो भी स्थिति हो, तब तक लागू नहीं होगी जब तक निम्नलिखित शर्तें न पूरी हो:

- (क) अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (4) के अधीन की गई अपील में, चुनौती दिए जाने वाले ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर की गई अपील;
- (ख) अधिनियम की धारा 85A की उपधारा (1) के अधीन की गई शिकायत में-
- (क) शिकायतकर्ता ने ऑम्बुड्समैन के समक्ष जाने से पूर्व उसी विषय पर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को एक लिखित अभ्यावेदन दिया हो, और:
- (i) ऐसा अभ्यावेदन रद्द कर दिया गया हो;
- (ii) अभ्यावेदन की प्रस्तुत करने के पश्चात् एक महीने की अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो; या
- (iii) शिकायतकर्ता ऐसे उत्तर से संतुष्ट न हो।
- (ख) शिकायतकर्ता द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उत्तर की प्राप्ति से एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज की गई हो या, जब कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो ऐसे अभ्यावेदन करने से दो महीने के भीतर;
- (ग) शिकायत या अपील की प्रकृति अपमानजनक या तुच्छ या कष्टकारी न हो; और
- (घ) शिकायतकर्ता या अपीलकर्ता द्वारा शिकायत के निपटान हेतु इन नियमों में अपेक्षित पूरी सूचना प्रदान न की गई हो।

- (2) ऐसे मुद्दों पर ऑम्बुड्समैन को कोई शिकायत या कोई अपील, जैसी भी स्थिति हो, नहीं की जाएगी जो:
- (क) किसी प्राधिकरण, या अधिकरण, न्यायालय, या केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष किसी अपील, या पुनरीक्षण, संदर्भ या रिट की कार्यवाही की विषयवस्तु है या रही है; या
- (ख) धारा 84 के अधीन मध्यस्थता कार्यवाही की विषयवस्तु है या रही है; या
- (ग) उसी विषयवस्तु से संबंधित है जिसका निपटान ऑम्बुड्समैन द्वारा पिछली कार्यवाही में किया गया था, चाहे वह उसी शिकायतकर्ता या अपीलकर्ता से प्राप्त हुई हो, या एक या एक से अधिक शिकायतकर्ता या अपीलकर्ता से प्राप्त हुई हो, या विषयांतरगत मामले में किसी एक या एक से अधिक पक्षों से प्राप्त हुई हो।

**30ज. शिकायत या अपील का प्ररूप और रीति-** (1) ऑम्बुड्समैन को किसी सदस्य द्वारा की गई शिकायत भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (लिखित शिकायत सहित) दी जा सकती है और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के अनुसार इस प्रयोजन हेतु डिजाइन किए गए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।

- (2) इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप-VI के अनुसार शिकायत प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप-VII के अनुसार कोई अपील प्रस्तुत की जाएगी।

**30-स. ऑम्बुड्समैन द्वारा शिकायत और अपील पर कार्रवाई की प्रक्रिया-** ऑम्बुड्समैन अपने समक्ष आई शिकायतों व अपीलों पर निम्नलिखित रीति से कार्रवाई करेगा, अर्थात्:-

- (क) ऑम्बुड्समैन जहां तक व्यवहार्य हो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास करेगा, जिसमें शिकायत या अपील, जो भी दशा हो, की एक प्रति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उपलब्ध कराना, और ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को सुनवाई या उत्तर देने का एक अवसर प्रदान करना शामिल है।
- (ख) यदि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से कोई उत्तर प्राप्त न हो रहा हो तो ऑम्बुड्समैन शिकायत या अपील, जो भी दशा हो, पर उसके समक्ष उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्रवाई करने का निर्णय लेगा; और
- (ग) ऑम्बुड्समैन, शिकायत या अपील, जो भी दशा हो, की प्राप्ति के तीन महीने की अवधि के भीतर जांच की प्रक्रिया पूरी करके आदेश के माध्यम से अपना फैसला सुनाएगा।

**30ज. केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष अपील -** (1) धारा 85(क) की उपधारा (3) के अनुसार ऑम्बुड्समैन के निदेशों के विरुद्ध आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप-VIII में उपलब्ध प्ररूप के अनुसार अपील फाइल की जा सकती है।

- (2) केन्द्रीय रजिस्ट्रार, पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अपील फाइल करने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर:
- (क) अपील खारिज कर सकता है;
- (ख) अपील को ऑम्बुड्समैन द्वारा पारित निदेशों को निरस्त करने की अनुमति दे सकता है;
- (ग) मामले को ऑम्बुड्समैन के समक्ष ऐसे निदेश के अनुसार पुनः निपटान हेतु भेजा जा सकता है जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक या उचित समझा जाए;
- (घ) ऑम्बुड्समैन के निदेशों को आशोधित करके ऑम्बुड्समैन के ऐसे आशोधित निदेश को प्रभाव देने के लिए जो आवश्यक हो निदेश पारित कर सकता है; या
- (ङ) मामले की परिस्थिति के अनुसार कोई अन्य निर्णय पारित कर सकता है जो वह यथोचित समझे।
- (3) उपनियम (2) के अधीन पारित केन्द्रीय रजिस्ट्रार का निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।”

**8. मूल नियमों में अध्याय 8 के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:-**

**“सहकारी सूचना अधिकारी को आवेदन”**

**35. धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन सहाकारी सूचना अधिकारी को आवेदन की रीति-** (1) कोई सदस्य जो अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने को इच्छुक है, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहाकारी सूचना अधिकारी को इन नियमों में उपाबद्ध प्ररूप -IX में आवेदन देगा।



(2) किसी सदस्य को उपनियम (1) के अधीन किसी सूचना की मांग हेतु आवेदन करने के लिए कोई कारण या कोई निजी जानकारी देने की अपेक्षा नहीं होगी, सिवाए उनके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों।

(3) सूचना प्रदान करने के लिए आवेदन फीस, अन्य प्रभार और संदाय की रीति सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियम) नियम, 2005 में विहित उपबंधों के अनुसार होगा।”

9. मूल नियम में अध्याय 8 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

### “अध्याय 8क

#### राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटीयां

**35क. राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी का पदाभिधान -** (1) अधिनियम की धारा 116 के अध्याधीन, केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के रूप किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी पदाभिहित कर सकता है, और ऐसा करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

(क) संपूर्ण भारत में ऐसी सोसाइटी के प्रचालन के कार्यक्षेत्र का विस्तार; और

(ख) उक्त सोसाइटी में सम्मिलित किए गए सदस्य सहकारी सोसाइटीयां सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हों।

(2) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अधीन राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी के रूप में पदाभिहित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से से छह मास के भीतर उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन करना होगा;

(3) एक राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी, अधिनियम की धारा 120 के उपबंधों के अनुसरण में अपनी विवरणियां केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल करेगी जिसमें यह व्यौरा सम्मिलित होगा कि-

(क) उसने उपर्युक्त उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन किया है,

(ख) उसने अधिनियम की धारा 24 के अधीन संघीय सहकारी सोसाइटीयों के कृत्यों का अनुपालन किया है।

(ग) देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और अपने कार्यक्षेत्र में इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक करने के लिए इसने कदम उठाए हैं; और

(घ) देश को विकसित करने के लिए अपने सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व की भावना सहित अपने कार्यक्षेत्र में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना।

**35ख. द्वितीय अनुसूची से राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी का लोप -** अधिनियम की धारा 116 के उपबंधों के अध्याधीन, केन्द्रीय सरकार किसी राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी को इन नियमों के नियम 35क के उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन न करने पर, या अन्यथा अकार्यशील रहने के आधार पर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से लोप कर सकती है।”

10. मूल नियमों में नियम 37 के पश्चात्, निम्नलिखित नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

**“37क. सहकारी सोसाइटीयों में कार्मिकों की भर्ती -** विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों की भर्ती एक पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और पर्याप्त रूप से प्रचारित प्रतियोगी प्रक्रिया के अनुसार होगी जो सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट यथोचित शैक्षिक और अनुभव मानदंडों के अनुसार होगी।

**37ख. गैर-क्रेडिट बहुराज्य सहकारी सोसाइटीयों के मुख्य कार्यकारी की अर्हताएं -** किसी गैर-क्रेडिट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किए जाने वाला कोई व्यक्ति निम्नलिखित मानदंडों को समाधान करेगा, अर्थात्:

(क) यह व्यक्ति स्नातक होगा या जिसके पास सहकारी व्यवसाय प्रबंधन, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, डेयरी सेक्टर प्रबंधन, मात्स्यिकी प्रबंधन, वित्त, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लागत लेखा, विधि, वाणिज्य, विज्ञान, मानविकी, तकनीकी या अन्य कोई संबंधित विषय में डिप्लोमा या समतुल्य होगा; और

(ख) उस व्यक्ति के पास सहकारी क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होगा:

परंतु यह कि कोई व्यक्ति जिसके पास तीन वर्ष से कम का कार्य अनुभव हो, उसे बोर्ड सदस्यों की तीन- चौथाई सदस्यों द्वारा पारित एक विशेष संकल्प के माध्य से नियुक्त किया जा सकेगा, जिससे इस दशा में ऐसे प्रस्ताव के लिए नोटिस के साथ उपाबद्ध व्याख्यात्मक विवरणी में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के औचित्य दर्शाए जाएंगे।

**37ग. धारा 104 के अधीन उपधारा (6) के अधीन मुनाफे की वसूली -** (1) सक्षम न्यायालय धारा 104 की उपधारा (6) के अधीन आदेश पारित करते समय बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड या अधिकारियों द्वारा, संयुक्त रूप से या अलग-अलग प्राप्त अवैध लाभ की राशि को अभिलेखित करेगा, और जिनसे ऐसे अवैध लाभ प्राप्य होगा।

- (2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आदेश की प्रति धारा 105 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सक्षम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।
- (3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट राशि को धारा 98 के अधीन 'बकाया रकम' माना जाएगी और तदनुसार उसकी वसूली की जाएगी।
- (4) धारा 104 की उपधारा (6) के अधीन अवैध लाभ के रूप में बरामद राशि को धारा 63क की उपधारा (1) के अधीन सहकारी पुनर्वास, पुनर्गठन और विकास निधि में जमा कर दिया जाएगा।

**37घ. केन्द्रीय सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, डेटाबेस, या पोर्टल का सृजन -** केन्द्रीय सरकार एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, डेटाबेस या पोर्टल स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है जिसमें सभी आवेदन, विवरणियां, रिपोर्टें, लेखा विवरणियां, रजिस्टर, उपविधियां, या अन्य कोई विवरण या दस्तावेज या विवरणियां जिन्हें अधिनियम या उसके अधीन बने किसी नियमों के अधीन फाइल किया जाना अपेक्षित है, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा।

**37ङ. अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अधीन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में फाइल करने की रीति -** (1) प्रत्येक आवेदन, संप्रेषण, दस्तावेज, संसूचना, नोटिस, विवरणी, रिपोर्ट, लेखा विवरण, या अन्य कोई विवरण या दस्तावेज जिसे इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के अधीन फाइल, या सुपुर्द या तामील करने की अपेक्षा हो सकती है, या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित पोर्टल के माध्यम से केन्द्रीय रजिस्ट्रार को किया गया ऐसे आवेदन या प्रपत्र या दस्तावेज या उद्घोषणा केन्द्रीय रजिस्ट्रार के विनिश्चय के अनुसार कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (PDF) में या अन्य किसी ऐसे फॉर्मेट में फाइल या परिचालित या तामील किया जाएगा।

- (2) किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई पत्राचार (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में) और फाइल किए जाने वाले दस्तावेज में हस्ताक्षर करने वाले सदस्य का नाम, पदनाम, पता, सदस्यता संख्या होगा और जो उसके सही होना सुनिश्चित करेगा और कोई पत्राचार जिसमें मात्र प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लिखकर हस्ताक्षर कर दिया गया हो, को किसी भी दशा स्वीकारा नहीं जाएगा।

**37च. अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अधीन दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक अनुरक्षण, पंजीकरण, और प्रमाणन -**

(1) प्रत्येक आवेदन, विवरणी, रिपोर्ट, लेखा विवरणी, रजिस्टर, उपविधियां या अन्य कोई विवरण या दस्तावेज जिसे अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अधीन फाइल या परिचालित किया जाना अपेक्षित है को केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अनुरक्षित किया जाएगा और अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इसे रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित, जो भी दशा हो, करने की आवश्यकता पड़ने पर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और लागू अन्य विधियों और उनके अधीन बने उन विधि, विधियों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं, या परिपत्रों के उपबंधों के अनुसार उसपर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाकर उसे रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित किया जाएगा।

- (2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के अधिप्रमाणन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अन्य सुसंगत विधियों और उनके अधीन बने नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं, या परिपत्रों के अधीन स्थापित प्रक्रिया लागू होगी।

**37छ. धारा 120क के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों का जारीकरण और संप्रेषण -** (1) केन्द्रीय रजिस्ट्रार, अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अधीन कार्य निष्पादन या कर्तव्यों का निर्वहन या शक्तियों का प्रयोग या ऐसा कोई कार्य करेगा जो अधिनियम द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित या निर्वहन या प्रयोग या करने के लिए, जो भी दशा हो, निदेशित किया गया हो

- (2) जहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार, अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अधीन प्रमाणपत्र, रसीद, पृष्ठांकन, पावती या अनुमोदन या कोई अन्य दस्तावेज या संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में जारी करने में असमर्थ हो, तो वह कारणों को लेखबद्ध करके उन्हें अपने हस्ताक्षर और कार्यालय के मुहर लगाकर भौतिक रूप से जारी कर सकता है।
- (3) केन्द्रीय रजिस्ट्रार कोई दस्तावेज, नोटिस या संप्रेषण या संसूचना, जिसे अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों या निदेशक बोर्ड या दोनों को तामील या परिचालित करने की अपेक्षा होती है, को इलेक्ट्रॉनिक रीति से भेज सकता है।
- (4) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी हर समय एक इमेल सहित वैध इलेक्ट्रॉनिक पता, यूज़र पहचान जो ऐसे दस्तावेज, प्रमाणपत्र, नोटिस या अन्य संप्रेषण, ऑटोमेटेड या अन्यथा प्राप्त करने और पावती देने के लिए सृजित और अनुरक्षित करेगा और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पता में आए किसी बदलाव को ऐसे बदलाव के पंद्रह दिनों के भीतर केन्द्रीय रजिस्ट्रार को संसूचित करेगा।”
11. मूल नियमों में अनुसूची का लोप किया जाएगा।
12. मूल नियमों में प्ररूप-III के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्: -

**“प्ररूप-III**

[नियम 19ज देखें]

**निदेशक मण्डल के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रपत्र**

- 1 बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों के नाम:
- 2 सोसाइटी का पता:
- 3 व्यष्टिक की दशा में उम्मीदवार का नाम और सदस्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में उनका नाम और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि का नाम:
- 4 सदस्यों के रजिस्टर में क्रम संख्या:
- 5 पिता/माता या पति/पत्नी का नाम (व्यष्टिक की दशा में):
- 6 पता:
- 7 प्रस्तावक का नाम यदि प्रस्तावक व्यष्टिक है और प्रस्तावक का किसी सोसाइटी का प्रतिनिधि होने की दशा में सोसाइटी और उसके प्रतिनिधि का नाम:
- 8 सदस्यों के रजिस्टर में प्रस्तावक का क्रम संख्या:
- 9 प्रस्तावक का हस्ताक्षर:
- 10 अनुसमर्थक का नाम जब अनुसमर्थक एक व्यष्टिक हो और सोसाइटी का नाम:
- 11 सदस्यों के रजिस्टर में अनुसमर्थक का क्रम संख्या:
- 12 अनुसमर्थक का हस्ताक्षर:

**अभ्यर्थियों की घोषणा**

मैं ..... पुत्र ..... सोसाइटी  
 ..... का सदस्य सं. .... घोषणा करता हूं की मैं  
 निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हूं और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं अधिनियम, नियमों और  
 बहुराज्य सोसाइटियों की उपविधियों के अनुसार ..... बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के  
 बोर्ड की सदस्यता से निरहिंत नहीं हूं।

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

### रिटर्निंग अधिकारी का पृष्ठांकन

यह नामांकन प्ररूप मुझे व्यक्तिगत रूप से \_\_\_\_\_ द्वारा तारीख..... को  
..... बजे दिया गया/रजिस्ट्री डाक से तारीख ..... को ..... बजे  
प्राप्त हुआ है।

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर।”

13. मूल नियमों में प्ररूप -IV के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

#### “प्ररूप-IV

[नियम19ट देखें]

#### निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए आवेदन

मैं, \_\_\_\_\_ पिता/माता/पति-पत्नी का नाम \_\_\_\_\_ (सोसाइटी का नाम)  
\_\_\_\_\_ का सदस्य, निदेशक बोर्ड के सदस्य/पदाधिकारी का निर्वाचन लड़ रहा हूँ, तारीख  
\_\_\_\_\_ को सम्पन्न होने वाले (सोसाइटी का नाम) \_\_\_\_\_ के निर्वाचन में निम्नलिखित  
व्यक्ति को अपने निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभिकर्ता का नाम

पहचान पत्र/आधार सं. ....

अभिकर्ता का प्रतिहस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर”

14. मूल नियमों में प्ररूप -V के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

#### “प्ररूप V

[नियम19ठ देखें]

#### पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र

1. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम और पता:
2. पद जिसके लिए निर्वाचन लड़ रहे हैं:
3. व्यष्टिक की दशा में अभ्यर्थी का नाम और सदस्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में उनका नाम और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि का नाम:
4. सदस्यों के रजिस्टर में क्रम संख्या:
5. पिता/माता/पति-पत्नी का नाम (व्यष्टिक की दशा में):
6. पता :
7. प्रस्तावक का नाम यदि प्रस्तावक व्यष्टिक है और प्रस्तावक का किसी सोसाइटी का प्रतिनिधि होने की दशा में सोसाइटी और उसके प्रतिनिधि का नाम:
8. सदस्यों के रजिस्टर में प्रस्तावक का क्रम संख्या:

9. प्रस्तावक का हस्ताक्षर:
10. अनुसमर्थक का नाम जब अनुसमर्थक एक व्यक्ति हो और सोसाइटी का नाम:
11. सदस्यों के रजिस्टर में अनुसमर्थक का क्रम संख्या:
12. अनुसमर्थक का हस्ताक्षर:

### अभ्यर्थी की घोषणा

मैं ..... पुत्र ..... सोसाइटी  
 ..... का सदस्य सं. .... घोषणा करता हूँ कि मैं  
 निर्वाचन में खड़ा होने को इच्छुक हूँ और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में मैं अधिनियम और उसके अधीन निर्मित  
 नियमों और बहुराज्य सोसाइटियों की उपविधियों के अनुसार ..... बहुराज्य सहकारी  
 सोसाइटी के बोर्ड की सदस्यता से निरहित नहीं हूँ।

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

### रिटर्निंग अधिकारी का पृष्ठांकन

यह नामांकन प्ररूप मुझे व्यक्तिगत रूप से ..... द्वारा तारीख ..... को  
 ..... बजे दिया गया/रजिस्ट्री डाक से दिनांक ..... को ..... बजे  
 प्राप्त हुआ है।

स्थान \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर।”

### प्ररूप -VI

[नियम 30ज(2) देखें]

### शिकायत का प्ररूप

(शिकायतकर्ता द्वारा भरी जाएगी)

[अन्यथा उपदर्शित के सिवाय सभी सूचनाएं अनिवार्य हैं]

सेवा में

सहकारी ऑम्बुड्समैन

महोदया/महोदय,

विषय : ..... (बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम) के विरुद्ध शिकायत के संबंध में।

1. शिकायतकर्ता का नाम:
2. आयु (वर्षों में):
3. लिंग:
4. शिकायतकर्ता का पूरा पता:
  - पिन कोड:
  - दूरभाष संख्या (यदि उपलब्ध हो):
  - मोबाईल नंबर:
  - ई-मेल (यदि उपलब्ध हो):
5. जिसके विरुद्ध शिकायत है उसका नाम:

(बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम व पूरा पता)

6. सदस्यता संख्या, या सदस्यता से संबंधित सुसंगत ब्यौरा:

7. फाइल करने की रीति: पोर्टल के माध्यम से/भौतिक स्वरूप में/इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में

(कृपया यथोचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं)

8. (क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की तारीख व ब्यौरा: (कृपया शिकायत की एक प्रति संलग्न करें)

(ख) क्या ऐसी शिकायत को रद्द कर दिया गया या ऐसी शिकायत की तारीख से एक महीने के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है या क्या शिकायतकर्ता बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है?

(ग) क्या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उत्तर की प्राप्ति से एक महीने से अपश्चात शिकायत की जा रही है; या ऐसी सोसाइटी को शिकायत करने के उपरांत दो महीना बीत जाने पर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है?

9. कृपया सुसंगत स्थान पर सही का निशान लगाएं (हां/नहीं):

क्या आपकी शिकायत:

• किसी प्राधिकरण, अधिकरण, न्यायालय, या केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्षा विचाराधीन है या क्या यह मामला धारा 84 के अधीन मध्यस्थता का विषय है? हां/नहीं

• उसी मामले से संबंधित है जिसका निपटान, ऑम्बुड्समैन द्वारा किसी पिछली कार्यवाही में किया गया था, चाहे वह उसी शिकायतकर्ता द्वारा किया गया था या नहीं या एक या एक से अधिक शिकायतकर्ता द्वारा, या विषय से संबंधित एक या एक से अधिक पक्षकारों द्वारा किया गया था? हां/नहीं

• इसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया गया है? हां /नहीं

10. अपील का ब्यौरा:

11. ऑम्बुड्समैन से निवेदन किया गया अनुतोष:

12. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

### घोषणा

(i) मैं ..... पुत्र ..... शिकायतकर्ता, यहां घोषणा करता हूं कि:

(क) उपर्युक्त प्रदत्त सूचना सत्य और सही है; और

(ख) मैंने ऊपर बताए गए किसी बात में और इसके साथ प्रस्तुत किसी दस्तावेज में कोई तथ्य न तो छिपाया है या गलत ढंग से पेश किया है।

(ii) (क) जहां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से उत्तर प्राप्त हो गया है: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से उत्तर प्राप्त होने के एक महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व शिकायत फाइल की जा रही है।

(ख) जहां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को दिए गए अभ्यावेदन के दो महीने की अवधि समाप्त होने के पूर्व शिकायत फाइल की जा रही है।

भवदीय,

(शिकायतकर्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

**प्राधिकार**

यदि शिकायतकर्ता किसी प्रतिनिधि को अपनी ओर से ऑम्बुड्समैन के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत करना चाहता है तो वह निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा:

मैं, ..... पुत्र ....., शिकायतकर्ता, श्री/श्रीमती ..... को अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामित करता हूँ जिनका संपर्क ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

पूरा पता:

पिन कोड:

दूरभाष संख्या:

मोबाईल नंबर:

ई-मेल:

भवदीय

(शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर)

**प्ररूप -VII**

[नियम 30ज(3) देखें]

**सहकारी सूचना अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील का प्ररूप**

[अन्यथा उपदर्शित के सिवाय सभी सूचनाएं अनिवार्य हैं]

सेवा में

सहकारी ऑम्बुड्समैन

महोदया /महोदय,

विषय : ..... (बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम) के विरुद्ध शिकायत के संबंध में।

अपील का ब्यौरा:

1 अपीलकर्ता का नाम:

2 आयु (वर्षों में):

3. लिंग:

4. अपीलकर्ता का पूरा पता:

- पिन कोड:
- दूरभाष संख्या. (यदि उपलब्ध हो):
- मोबाईल नंबर:
- ई-मेल (यदि उपलब्ध हो):

5. जिसके विरुद्ध अपील है उसका नाम: (बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम और पूरा पता):

6. सदस्यता संख्या, या सदस्यता से संबंधित सुसंगत ब्यौरा:

7. फाइल करने की रीति: पोर्टल के माध्यम से/भौतिक स्वरूप में/इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में:

(कृपया यथोचित विकल्प पर सही का चिह्न लगाएं)

8. (क) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को अपीलकर्ता द्वारा दी गई आवेदन की तारीख व ब्यौरा: (कृपया शिकायत की एक प्रतिलिपि संलग्न करें)

(ख) क्या आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर सहकारी सूचना अधिकारी से अपेक्षित सूचना प्राप्त हुई है अथवा नहीं हुई है, जैसा कि अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (3) में वर्णित है? हां/नहीं (कृपया उत्तर की एक प्रतिलिपि संलग्न करें)

9. कृपया सुसंगत स्थान पर सही का निशान लगाएं (हां/नहीं):

क्या आपकी अपील:

- आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किया गया है? हां/नहीं

- पर कार्य हो चुका है या इसी आधार पर ऑम्बुड्समैन के समक्ष प्रक्रियाधीन है? हां/नहीं
- 10. अपील का ब्यौरा:
- 11. इस अपील के माध्यम से ऑम्बुड्समैन से निवेदन किया गया अनुतोष:
- 12. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

### घोषणा

(i) मैं,..... पुत्र ....., अपीलकर्ता यहां घोषणा करता हूं कि:

(क) ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है; और

(ख) मैंने ऊपर बताए गए किसी बात में और इसके साथ संलग्न किसी दस्तावेज में कोई तथ्य न तो छिपाया है या गलत ढंग से पेश किया है।

(ii) यह अपील सहकारी सूचना अधिकारी के आदेशों की तारीख से एक महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व फाइल किया जा रहा है जो धारा 106 की उपधारा (4) के अधीन उपबंधित समय-सीमा के अनुसार है।

भवदीय

(अपीलकर्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

### प्राधिकार

यदि शिकायतकर्ता किसी प्रतिनिधि को अपनी ओर से ऑम्बुड्समैन के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत करना चाहता है तो वह निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा :

मैं, ..... पुत्र ..... शिकायतकर्ता, श्री/श्रीमती ..... को अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामित करता हूं जिनका संपर्क ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

पूरा पता:

पिन कोड:

दूरभाष संख्या:

मोबाईल नंबर:

ई-मेल:

भवदीय

(अपीलकर्ता का हस्ताक्षर)

प्ररूप -VIII

[नियम 30अ(1) देखें]

केन्द्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष अपील का प्ररूप

[अन्यथा उपदर्शित के सिवाय सभी सूचनाएं अनिवार्य हैं]

सेवा में,

केन्द्रीय रजिस्ट्रार

महोदया/महोदय,

विषय: सहकारी ऑम्बुड्समैन के तारीख ..... के निर्णय के विरुद्ध ..... (अपीलकर्ता का नाम) की अपील।

अपील का ब्यौरा:

1. अपीलकर्ता का नाम:

2. अपीलकर्ता का पूरा पता:



- दूरभाष सं. (यदि उपलब्ध हो):
  - ई-मेल (यदि उपलब्ध हो):
3. अपील किसके विरुद्ध है: (सहकारी ऑम्बुड्समैन द्वारा पारित निदेशों के ब्यौरे, तारीख और अन्य विशिष्टियों सहित)
  4. फाइल करने की रीति: पोर्टल के माध्यम से/भौतिक प्ररूप में/इलेक्ट्रॉनिक रूप से (कृपया समुचित विकल्प पर सही का चिह्न लगाएं)
  5. अपील के ब्यौरे:
  6. (क) ऑम्बुड्समैन के समक्ष मूल शिकायत की तारीख और ब्यौरे: (कृपया मूल शिकायत की एक प्रति, सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ संलग्न करें)
  - (ख) ऑम्बुड्समैन द्वारा पारित निदेशों के ब्यौरे: (कृपया ऑम्बुड्समैन द्वारा पारित निदेश/निदेशों की एक प्रति, सभी सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों के साथ संलग्न करें)
  7. कृपया सुसंगत स्थान पर सही का चिह्न लगाएं (हां/नहीं):  
क्या आपकी अपील आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से की गई है? हां/नहीं
  8. अपील में केन्द्रीय रजिस्ट्रार किया गया अनुतोषण: (कृपया अपनी अपील के समर्थन में सभी दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, की प्रतियां संलग्न करें)
  9. संलग्न दस्तावेजों की सूची:

### घोषणा

- (i) मैं ..... पुत्र ....., अपीलकर्ता यहां घोषणा करता हूं कि:  
(क) ऊपर दी गई सूचना सत्य और सही है; और  
(ख) मैंने ऊपरकथित किसी तथ्य में और इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में न तो छिपाया है या दुर्व्यपदेशित किया है।
- (ii) (क) यदि अपील समय पर फाइल की जा रही है: यह अपील धारा 85क(3) के अनुसार एक मास की संगणित समय-सीमा की समाप्ति से पहले फाइल की जा रही है।  
(ख) यदि अपील पर्याप्त कारणों के कारण एक मास की समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात् फाइल की जा रही है: यह अपील धारा 85क(3) के अधीन यथाउपबंधित एक मास की समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात् फाइल की जा रही है, जिसके पर्याप्त कारण निम्नानुसार हैं:  
(कृपया ऐसे कारणों को यहां उपदर्शित करें)

भवदीय,

(अपीलकर्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)

### प्राधिकार

यदि शिकायतकर्ता किसी प्रतिनिधि को उसकी ओर से ऑम्बुड्समैन के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए प्राधिकृत करना चाहता है तो वह निम्नलिखित घोषणा करेगा:

मैं, ..... पुत्र ....., शिकायतकर्ता, एतद्वारा श्री/श्रीमती ..... को अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत करता हूं जिनका संपर्क ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

पूरा पता:

पिन कोड:

दूरभाष संख्या:

मोबाईल नंबर:

ई-मेल:

भवदीय

(अपीलकर्ता का हस्ताक्षर)

## प्ररूप-IX

[नियम 35(1) देखें]

## सहकारी सूचना अधिकारी को आवेदन

आवेदन सं. (कार्यालय उपयोग के लिए):

तारीख:

सेवा में:

सहकारी सूचना अधिकारी,

[बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम]

[पता]

[राज्य]

[पिन कोड]

विषय: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन सूचना के लिए अनुरोध महोदय,

1. मैं [नाम] पुत्र/पुत्री/पत्नी [नाम] निवासी [पता] बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित सूचना का निवेदन करता/करती हूँ :
2. यह सूचना [बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम] से संबंधित है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं [आज की तारीख के अनुसार], [बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम] का सदस्य/की सदस्या हूँ और मेरी सदस्यता संख्या ..... है।
4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि पैरा 1 के अधीन निवेदन की गई सूचना [बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम] के कार्यकलाप और प्रबंधन से संबंधित है और यह सूचना बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 106 की उपधारा (1) के अनुसार [बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का नाम] की उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकटन मानदंडों के अधीन आती है।
5. मैंने आवेदन फीस के लिए अपेक्षित रकम रसीद सं. .... तारीख ..... के माध्यम से जमा कर दी है (रसीद संलग्न)।
6. मैं सुसंगत नियमों द्वारा यथाअपेक्षित कोई अतिरिक्त फीस/प्रभार (यदि लागू हो) के संदाय की भी उद्घोषणा करता/करती हूँ।

भवदीय,

(सदस्य का हस्ताक्षर)

पता:

सदस्यता संख्या , या सदस्यता से संबंधित सुसंगत ब्यौरे:

दूरभाष सं:

ई-मेल पता:

तारीख:

[संलग्न: आवेदन फीस की रसीद सं. \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_]”.

[फा.सं. एल-11012/02/2002-एल एंड एम (भाग II)

विजय कुमार, विशेष सचिव

**MINISTRY OF COOPERATION**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2023

**G.S.R. 591(E).**— In exercise of the powers conferred by clauses (aa), (ja), (k), (ka) to (ki), (ma), (qa),(sa) to (sc),(wa), (wb), (xa) and (xb) of sub-section (2) of section 124 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Multi-State Cooperative Societies Rules, 2002, namely: —

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.**In the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,—

(i) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(iib) “Chairperson” means the Chairperson of the Co-operative Election Authority established under sub-section (1) of section 45;’;

(ii) after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(va) ‘Electronic registry’ means the electronic repository or storage system set up by the Central Government under rule 37D;’;

(i) for clause (xiii), the following shall be substituted, namely: -

“(xiii) words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or under any rules, notifications, or directions issued under those Acts, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts.”.

**3.** In the principal rules, after Chapter 2, the following Chapter shall be inserted, namely:—

**“Chapter 2A**

**PRUDENTIAL NORMS FOR MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES**

**11A. Prudential norms.**— (1) Multi-State co-operative societies in the thrift and credit business shall be categorised on the basis of their deposits into following categories—

- (a) micro;
- (b) small;
- (c) medium; and
- (d) large.

(2) Prudential norms for different categories of societies referred to in sub-rule (1) may be notified by the Central Government, which includes—

- (a) minimum aggregate value of paid-up capital and authorised share capital required for commencement of business in case of new registration;
- (b) categorisation of capital into various tiers and limits for each tier;
- (c) capital adequacy ratio and risk weightage of different items;
- (d) requirement of buffers for liquidity management;
- (e) exposure limits in case of individual or group borrowers, aggregate borrowers and sectoral borrowers;
- (f) norms for branch expansion; and
- (g) disclosures.

**11B. Restrictions on grant of loans by a multi-State co-operative society.**— (1) No multi-State co-operative society shall grant loan or make advances against the security of its own shares.

(2) The total amount of loans granted by a multi-State co-operative society to the members of its board, including their relatives, and outstanding against them in the aggregate shall not exceed ten per cent. of the total amount of all the loans granted by the society and outstanding against its members, at any time.

(3) No multi-State co-operative society shall give, whether directly or indirectly, and whether by means of a loan, guarantee, the provision of security or otherwise, any financial assistance for the purpose of, or in connection with, a purchase or subscription made or to be made, by any person of or for any shares in that multi-State co-operative society.”

4. In the principal rules, for rule 19, the following rules shall be substituted, namely:—

**“19. Composition of Selection Committee.**— (1) The Chairperson of the Authority, the Vice-Chairperson and every Member thereof shall be appointed by the Central Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of —

- (a) Secretary, Ministry of Cooperation, - Chairperson, *ex officio*;
- (b) Central Registrar, Member, *ex officio*;
- (c) Additional Secretary, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Member, *ex officio*; and
- (d) two experts from the co-operative sector to be nominated by the Minister in-charge of the Ministry of Cooperation.

(2) The Selection Committee may regulate its own procedure for recommending the names for selection of Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the Authority.

**19A. Qualification and experience for appointment as Member of Authority.**— No Member shall be appointed to the Authority, unless he is a person of ability, integrity and standing who has knowledge and experience for a period not less than ten years in the field of co-operatives, law or public administration:

Provided that at least one Member appointed to the Authority shall be a woman.

**19B. Salaries, allowances, and conditions of service of Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the Authority.**— (1) The Chairperson shall receive such pay including dearness allowance and other allowances as admissible to an Additional Secretary to the Government of India.

(2) The Vice-Chairperson shall receive such pay including dearness allowance and other allowances as admissible to a Joint Secretary to the Government of India.

(3) The Members of the Authority shall receive such pay including dearness allowance and other allowances as admissible to a Director to the Government of India.

(4) In case of appointment of a person as Chairperson, Vice-Chairperson or Member, who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, the pay and allowances of such Chairperson, Vice-Chairperson or Member, as the case may be, shall be reduced by gross amount of pension, if any, drawn or to be drawn by him.

(5) The Chairperson while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Authority or on the expiry of his term with the Authority proceeds to his hometown) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar allowances admissible for an Additional Secretary to the Government of India.

(6) The Vice-Chairperson, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Authority or on the expiry of his term with the Authority proceeds to his hometown) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar allowances admissible for a Joint Secretary to the Government of India.

(7) A Member, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Authority or on the expiry of his term with the Authority proceeds to his hometown) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar allowances admissible for a Director to the Government of India.

(8) The Chairperson, Vice-Chairperson and Members shall not be entitled to government accommodation, but shall be entitled to House Rent Allowance applicable to the respective grade officers in the Government of India.

(9) The Chairperson, Vice-Chairperson and Members are not entitled for any sitting fee for attending the meetings of the Authority.

(10) If the conditions of service of the Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the Authority under these rules do not provide for any express provision regarding any specific issue, then the same shall be referred to the Central Government for its decision in each case, and the decision of the Central Government thereon shall be final.

**19C. Powers and functions of Chairperson.**—(1) The Chairperson shall be the administrative head of the Authority and shall have all the administrative and financial powers.

(2) The Chairperson shall have powers of general superintendence and directions in the conduct of the affairs of the Authority.

(3) The Chairperson shall preside over the meetings of the Authority.

(4) The Chairperson shall fix the date, time and place of meetings of the Authority and approve the items of agenda for the meetings.

(5) If meetings of the Authority are to be held in a location other than its Head Office, it shall be at the discretion of the Chairperson.

(6) The Chairperson may include any additional item in the agenda of the meeting, which was not included in the agenda of the meeting for consideration by the Authority.

(7) The Chairperson may grant leave of absence to the Members of the Authority upon advance application by the Members seeking such leave.

**19D. Procedure of inquiry against Chairperson, Vice-Chairperson and Members of Co-operative Election Authority.**— (1) The Chairperson, Vice-Chairperson or a Member of the Authority shall be removed from office by an order of the Central Government, on the grounds specified in section 45B, after conducting an inquiry as required under sub-section (2) of section 45B.

(2) For holding an inquiry under sub-section (2) of section 45B, the Central Government shall issue a notice to the Chairperson, Vice-Chairperson or a Member, as the case may be, why an inquiry should not be conducted and specifying the reasons and grounds for such inquiry and requiring him to submit his response on the grounds within such period as may be specified in the notice (being not less than fourteen days from the date of service thereof).

(3) After considering the response, if any, submitted by such person, if the Central Government is of the opinion that an inquiry should be held, the Central Government shall appoint an Inquiry Officer who shall issue a notice fixing a date for the appearance of that person either personally or other authorised representative.

(4) On the date fixed for appearance, the Inquiry Officer shall explain the person concerned to proceeded about the ground invoked against him.

(5) The Inquiry Officer shall give an opportunity to such person to produce documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary and the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the Inquiry Officer shall not be bound to observe the procedures provided under the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872):

Provided that the notice and the personal hearing may be waived at the request of the person concerned.

Provided further that while holding an inquiry under this rule, the Inquiry Officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Inquiry Officer, may be useful for or relevant to, the subject-matter of the inquiry and if any person fails, neglects, or refuses to appear before the Inquiry Officer, the Inquiry Officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(6) The inquiry shall be completed within a period of six months from the date of issue of notice by the Inquiry Officer and the report on the findings of the inquiry shall be submitted to the Central Government.

**19E. Meetings of Authority.**— (1) The Authority shall meet, as often as may be necessary, to transact its business.

(2) The Authority shall determine its own procedure for holding the meetings and distribution of work amongst themselves.

(3) The quorum for meetings of the Authority shall not be less than three members, including the Chairperson and Vice-Chairperson.

(4) In case of any vacancy, the quorum may be proportionately reduced, with the approval of the Central Government.

**19F. Powers and functions of Co-operative Election Authority.**— In order to conduct the elections to the co-operative societies, the Authority shall have the following powers, namely :—

(a) to appoint any person from a panel prepared for the purpose, including an officer or employee, serving or retired, of any multi- State co-operative society, the State Government or the Central Government on any post with such designation and duties, for the purpose of conducting the elections, including the Observers, Returning Officers and Assistant Returning Officers:

Provided that, such officer or employee shall work under the general superintendence and control of the Authority for the purposes of election;

(b) to requisition any premises, vehicles, services, information, documents, personnel, funds, expenses, materials, or any other assistance from the multi-State co-operative society whose election is being conducted, as he may deem necessary and on service of such requisition, it shall be obligatory on the multi-State co-operative society to whom such requisition is made, to forthwith hand over the possession of premises, vehicles or any other material, or provide any such assistance, as the case may be, to the Authority or any person authorised by them on that behalf;

(c) to provide and enforce the code of conduct on the multi-State co-operative society whose election is being conducted, to be implemented in the area of operation of the multi-State co-operative society according to the nature of business or class of societies;

(d) to appoint Observers, who shall be appointed to supervise elections and discharge such other functions referred to in rule 20A; and

(e) to issue such other special or general orders or directions for fair and free elections, which shall not be inconsistent with the provisions of the Act.

**19G. Procedure for conduct of elections.**— (1) The election of members of the board shall be conducted by a Returning Officer, to be appointed by the Authority and the Returning Officer so appointed shall not be a member or an employee of the multi-State co-operative society:

Provided, that the Authority may also appoint one or more persons to be called as the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer, for the conduct of the election to the society.

(2) Every Assistant Returning Officer, shall, subject to the control of the Returning Officer and general control of the Authority, be competent to perform all or any of the functions of the Returning Officer:

Provided that, no Assistant Returning Officer shall perform the functions of the Returning Officer relating to the scrutiny of nominations unless the Returning Officer is unavoidably prevented from performing the said function.

**19H. Procedure for conduct of election to the board of multi-State co-operative societies.**—(1) The Chairperson and the Chief Executive of the multi-State co-operative society shall inform the Authority at least six months before the expiry of the term of the board, to conduct elections within time and a copy of the information shall also be sent to the Central Registrar.

(2) Within a period of one month from the date of receipt of such information under sub-rule (1), the Authority shall notify the election programme, including the election to the members of the Board and subsequent elections to the posts of office bearers of the multi-State co-operative society and such programme shall include the date of the general meeting wherein elections shall be held:

Provided that the provisions of this sub-rule shall also apply to multi-State co-operative societies under the control of the administrator appointed under sub-section (1) of section 123.

Provided further that an administrator appointed under sub-section (1) of section 123 shall perform the functions of the board in respect of the society to which he has been appointed as administrator.

(3) The Authority shall appoint a Returning Officer to conduct the elections in respect of the societies referred to in this rule.

(4) The Returning Officer appointed under rule (3) shall send intimation regarding date, time and place of the general meeting to each of the members of the multi-State co-operative society and the Returning Officer may also send such intimation electronically, wherever possible.

(5) Where other co-operative societies or multi-State co-operative societies are members, the Returning Officer shall call on such societies to send the name of their Chairperson or President or the Chief Executive or a duly authorised member of the board of such co-operative society or other multi-State co-operative society as representative (hereinafter referred to as the delegate) in accordance with the provisions contained in sub-section (3) of section 38 together with the resolution of the board of the society and the specimen signature of the Chairperson or President or the Chief Executive or duly authorised member of the board, duly attested and bearing the seal of the society so as to reach him at least twenty-one clear days prior to the date fixed for the general meeting.

(6) Where there is no board of such co-operative society or other multi-State cooperative society, the administrator, or duly authorised administrator, if there are more than one administrators, by whatever name called, shall intimate the Returning Officer in writing under his signature at least twenty-one clear days prior to the date fixed for the general meeting that he or the Chief Executive shall represent such society in the general meeting and where no such resolution or communication intimating the name of the delegate is received by the date fixed or where any intimation changing the name of the delegate is received after such date, it shall not be accepted for inclusion in the list of members or delegates of member-societies.

(7) Fresh resolution shall be required for every general meeting at which election shall be held.

(8) It shall be the duty of the board of directors in office, or the administrator, as the case may be, to bring up to date the register of members and such other registers, as the Returning Officer may require and hand over such records, register or registers to the Returning Officer thirty days prior to the date fixed for the general meeting for the purpose of conducting the election.

(9) The election shall be held at a general meeting of the society convened for the purpose, of which not less than fourteen days' prior notice shall be given to the members.

(10) For the conduct of elections, the Returning Officer shall preside over the meeting, under the supervision of the Authority.

(11) Notice for holding the general meeting shall also be affixed on the notice board of the Multi-State Co-operative Society and its branches, if any, and the notice shall contain the following information, namely:—

- (a) the number of vacancies to be filled by election;
- (b) the area of the constituency (specified in the bye-laws) from which the members are to be elected;
- (c) the qualifications, if any, specified in the bye-laws for eligibility for membership on the board;
- (d) the name of the returning officer, date, place and hours between which nomination paper shall be filed by the members, such date being not less than one clear day before the date fixed for election or if that happens to be a holiday the day preceding which is not a public holiday.

*Explanation.*— For the purpose of this sub-rule, the term 'public holiday' means any day which is declared as a public holiday under section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1981 (26 of 1881) or any day which has been notified by the Central Government or the State Government, as the case may be, to be a public holiday to the offices of the Central Government or the State Government, as the case may be;

- (e) the date on which and the time and place at which the nomination papers shall be taken up for scrutiny; and
- (f) the date and time of which, the place at which and the time between which, the polling shall take place.

**19-I. Preparation of list of members and delegates.**—(1) The Returning Officer shall prepare a list of members eligible to vote as it stood on the date, thirty days prior to the date fixed for the poll and publish copies of the list by affixing them on the notice board at the principal place of business of the society and all its branches, if any, not less than fifteen days prior to the date fixed for election and the list shall specify—

- (a) the admission number and name of the member, the name of the father or husband and the address of such member in the case of an individual member; and
- (b) the admission number, the name of the society, name of the delegate proposed to represent the society, in the case of a member society; the admission number, the name of the society, name of the delegate and the name of the constituency proposed to represent in the case of a member society and the admission number, the name of the delegate and the name of the constituency where a smaller body has been constituted under proviso to sub-section (1) of section 38.

(2) A copy of the list shall be supplied by the society to any member on payment of such fee as may be specified by the board and where no fee has been specified, the person authorised as per bye-laws of the society shall supply such list on payment of rupees ten.

(3) The Returning Officer shall also publish the election programme, as notified by the Authority, specifying the date and time of receipt of nominations, scrutiny of nominations, withdrawal of nominations, the poll, if required, and declaration of results and the election programme shall also be displayed on the notice board of the society and shall also be published in the newspaper circulated in the area of operation of the multi-State co-operative society at least fifteen days prior to the date of election.

**19J. Nomination of candidates.**— (1) Nomination of the candidate for election shall be made in Form III, which shall be supplied on request, by the Returning Officer or any other officer authorised by him in this behalf, to any member of the society free of cost.

(2) Every nomination form shall be signed by two members whose names are included in the list of the members or delegates and one of the members shall sign the Form as proposer and the other as seconder for the nomination and the nomination Form shall also contain a declaration signed by the candidate, expressing his willingness to contest the election.

(3) Nomination Form may be presented in person by the candidate himself to the Returning Officer or by any person authorised by him in this behalf, before the date and time specified for submission of nomination Form as per the election programme and the Returning Officer or any other officer authorised by him, who receives the nomination Form, shall enter on the nomination Form its serial number and certify the date and time at which the nomination

Form has been received by him and shall immediately give a written acknowledgement for the receipt of such nomination Form, which shall also bear the seal of the society.

(4) The Returning Officer shall, at the close of the time fixed for the receipt of nomination Forms, prepare and display on the notice board of the society, a list of nominations received by him and any nomination Form submitted after the date and time fixed for its receipt, shall be rejected.

(5) No person shall be nominated as a candidate for election to fill a seat on the board if he—

(a) is ineligible to vote;

(b) is not qualified or is disqualified to be the member of a multi-State co-operative society or a member of the board under the provisions of the Act and the rules made thereunder; and

(c) does not possess the necessary qualifications specified in the bye-laws of the society for election as member of the board.

**19K. Compliance with sections 43 and 44 of the Act.**— The eligibility of the candidates for the election of members of the board and office bearers shall be subject to the provisions contained in sections 43 and 44 of the Act.

**19L. Scrutiny of nomination papers.**—(1) On the day fixed for the scrutiny of nomination papers,—

(a) the Returning Officer shall, at the appointed hours, take up the scrutiny of nomination Forms and the candidate or the proposer or seconder of each of the candidates may be present at the time and place when nomination papers are scrutinised;

(b) the Returning Officer shall examine the nomination Forms and shall decide all objections which may be made by any candidate or his proposer or seconder in respect of any nomination and may, either accept or reject any nomination:

Provided that the nomination of a candidate shall not be rejected on the ground of an incorrect description of his name or the name of his proposer or seconder or of any other particulars relating to the candidate or his proposer or seconder, as entered in the list of members; if the identity of the candidate, proposer or seconder, as the case may be, is established beyond reasonable doubt;

(c) the Returning Officer shall endorse on each nomination Form his decision of accepting or rejecting the same, as the case may be, and if the nomination paper is rejected, he shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection;

(d) the Returning Officer shall not allow any adjournment of the proceedings except when proceedings are interrupted or obstructed by a riot or affray or by any other cause beyond his control; and

(e) list of valid nominations accepted by the Returning Officer shall be published on the notice board of the society containing the names in the alphabetical order in English and address of the candidates as given in the nomination paper.

(2) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and delivered in person or by the person duly authorised by him at any time after the presentation of the nomination Form, but before the date and time specified in the election programme for such withdrawal and the notice for withdrawal of candidature given by the candidate shall be irrevocable.

**19M. Voting.**— (1) If for any area or constituency for which election is to be held, the number of candidates whose nomination Forms have been declared valid, does not exceed the number of candidates to be elected for that area or constituency, the Returning Officer shall at the general meeting convened for the purpose of the election, declare them to have been duly elected to the board, with the approval of the Authority and if the number of candidates whose nominations are valid exceeds the number of vacancies to be elected for any area or constituency, the Returning Officer shall arrange for conducting the poll on the date and time fixed for the purpose and the Returning Officer may appoint as many polling officers as may be necessary for the conduct of the poll.

(2) A candidate contesting the election, may by a letter, in Form IV, to the Returning Officer, appoint an agent to represent him where polling is held, to identify the voters and to watch the recording of votes and such letter shall also contain the consent in writing of the agent concerned.

(3) Canvassing of votes by any person at the place where elections are to be conducted shall be prohibited.

(4) Before the commencement of the poll, the Returning Officer shall show the empty ballot box to the persons present at the time of commencement of the poll and shall then lock it up and affix his seal to prevent it being opened without breaking the seal and the candidate or his agent may also affix his own seal, if he so desires.

(5) Every member or delegate who desires to exercise his right of vote shall be supplied with a ballot paper containing the names of contesting candidates arranged in alphabetical order either printed, typewritten or cyclostyled,



according to convenience, on the ballot paper and the ballot paper shall bear the seal of the society and also the initials of the Returning Officer on the reverse of the ballot paper and contain a column, for the voter to inscribe mark 'X' against the name or names of the persons to whom he intends to cast his vote.

(6) In every polling station, where there is more than one polling booth, each such booth shall contain a separate compartment in which the members or delegates can cast their votes in secrecy.

(7) Every member who desires to cast his votes shall enter the polling station with an identity card, given to him by the society; the polling officer shall identify the member by putting questions to him with reference to the list of members or delegates eligible to vote in the polling station, furnished to him and if the polling officer is satisfied with the identity of the member, and if there is no objection from any candidate or his polling agent present at the polling station, he shall issue a ballot paper to him after obtaining signature or thumb impression of the member or delegate on counterfoil perforated with the ballot paper and the counterfoil shall bear the serial number and other details of the ballot paper and on receipt of such ballot paper, the member shall proceed to the polling compartment set apart for the purpose and indicate the person or persons in whose favour he exercises his vote by inscribing a mark 'X' against the name of the candidate or candidates, as the case may be, and put the ballot paper in the ballot box kept for the purpose with utmost secrecy:

Provided that if owing to blindness or other physical infirmity or illiteracy a member is unable to inscribe the mark on the ballot paper, the polling officer, and where no such polling officer is appointed, the Returning Officer shall ascertain from him the candidate or candidates, in whose favour he desired to vote, inscribe the mark 'X' on his behalf and put the ballot paper in the ballot box.

(8) Every member whose name is entered in the list of members or delegates furnished to the polling officer, shall be eligible to cast his vote unless there is a challenge by the candidate or his agent against his identity and if there is any such challenge about the identity of a member or if the polling officer feels any reasonable doubt, he shall then refer the matter to the Returning Officer, who shall make a summary inquiry and decide the question with regard to the identity of such persons on the basis of records of the society.

(9) The Returning Officer shall not entertain any challenge by a candidate or his polling agent, of a member's identity until the person who challenges pays a fee of rupees five for every such vote and the Returning Officer shall thereafter entertain the challenge and ask the member who has come to poll the vote to affix his thumb impression or signature, as the case may be, on a declaration describing his identity and if he refuses to do so, the member shall not be allowed to vote and if as a result of such summary inquiry, the identity of the member is established to the satisfaction of the Returning Officer, the polling officer shall issue ballot paper, and the member shall then be allowed to cast his vote and in such cases, the challenge fees paid shall be forfeited.

(10) At the end of the poll, the Returning Officer, shall prepare an account of challenge fees collected, fees refunded to the persons who challenged, and the fees forfeited to the society together with a brief note on the decision arrived at by him after the summary inquiry in each case.

(11) If, at any stage of the polling, the proceedings are interrupted or obstructed by any riot or affray or if at such election it is not possible to conduct poll for any sufficient cause, the Returning Officer shall have the power to cancel the polling, after recording the reasons for such cancellation.

(12) No voter shall be permitted to cast his vote after the time fixed for the polling:

Provided that a voter who enters the premises before the closure of the polling time, shall be issued the ballot paper and be allowed to cast his vote.

(13) The counting of votes shall take place immediately after closure of the poll and if it is not possible to count the votes immediately, for reasons beyond the control of the Returning Officer, the ballot box shall be sealed with the seal of the Returning Officer and of the contesting candidates or of their agents, if they so desire, and deposited with the society for safe custody and in such cases the Returning Officer shall then announce, and also, intimate in writing to the candidates or their agents, the time and place at which the counting shall commence on next day and the votes shall be counted by or under the supervision of the Returning Officer on the next day and every candidate and his authorised agent shall have a right to be present at the time of counting and the absence of any candidate or his agent at the time of counting shall not vitiate counting or announcement of results by the Returning Officer.

(14) After the Returning Officer has completed the counting of votes, he shall prepare a return of the results of the polling and shall forthwith declare the results, with the prior approval of the Authority.

(15) The Returning Officer shall immediately after the declaration of the results, record the proceedings of the election in a report which shall form part of the records of the society and the Returning Officer shall immediately furnish a copy of such a report together with a copy of the return of the results of polling to the multi-State co-operative society and the Authority.

**19N. Election of office bearers by secret ballot.**— (1) As soon as the members of the board have been elected, the Returning Officer shall, notwithstanding anything contained in the bye-laws of the multi-State co-operative society, convene a meeting of the newly constituted board for the purpose of election of the President or Chairperson, Vice-President or Vice-Chairperson or other elected office bearers of the society, by whatever name they are called, in accordance with the directions of the Authority and such meeting shall not be conducted unless majority of the newly elected members of the board are present, as per bye-laws of the society.

(2) At the meeting so convened by the Returning Officer, he shall preside over the meeting for the purpose of election of the office bearers by secret ballot.

(3) The Returning Officer shall announce the schedule of election of office bearers, stating the number of vacancies to be filled by election, date, place and time between which nomination Forms may be filled by the members; the date on which and the time and place at which the nomination Forms shall be taken up for scrutiny; the date and time of withdrawal; and the date on which, the place at which the polling, if required, may take place and the Returning Officer shall intimate the schedule of election to all the newly elected members of the board and the intending members may submit their nomination, in Form V, to the Returning Officer at such meeting and the Returning Officer shall decide the objections if any, which may be made at the time, to any nomination and after making such summary inquiry, as he thinks necessary, announce the list of valid nominations.

(4) If for any office, for which elections are to be held, the number of nomination of candidates in respect of an office, does not exceed the number of vacancies to be filled for that office, the candidates who have filed valid nominations shall be deemed to have been elected for that office and the Returning Officer shall make a declaration to that effect, with the prior approval of the Authority and if the number nomination of candidates in respect of an office, exceeds the number of vacancies to be filled for that office, a poll by secret ballot shall be conducted by the Returning Officer and he shall, thereafter, announce the number of votes secured by each candidate..

(5) The Returning Officer shall thereafter record the proceedings of the election of the office bearers in a report which shall form part of the records of the society and the Returning Officer shall also furnish a copy of such report together with a copy of the return of the polling, to the Authority.

(6) The result of the election shall be declared by the Returning Officer, with prior approval of the Authority.

(7) The certificate of election shall be issued immediately by the Chief Executive of the multi-State co-operative society, after declaration of results by the Returning Officer.

**19-O. Admission to the place fixed for counting.**— (1) The Returning Officer shall exclude from place fixed for counting of votes all persons except,—

- (a) such persons as he may appoint to assist him in the counting;
- (b) persons authorised by the Returning Officer;
- (c) public servants on duty in connection with the election; and
- (d) candidates.

(2) No person, who has been otherwise working for a candidate in the election, shall be appointed under clause (a) of sub-rule (1).

(3) Any person, who during the counting of votes misconducts himself or fails to obey the lawful directions of the Returning Officer, may be removed from the place where the votes are being counted by the Returning Officer or by any police official on election duty or by any person authorised in this behalf by the Returning Officer.

**19P. Rejection of ballot paper.**— (1) A ballot paper shall be rejected by the Returning Officer, if,—

- (a) it bears any mark or writing by which the member who voted can be identified; or
- (b) it does not bear the seal of the society or the initial of the Returning Officer; or
- (c) the mark indicating the vote thereon is placed in such a manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been casted; or
- (d) is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established.

(2) If after the counting of the votes is completed, an equality of votes is found to exist between any candidates and the addition of one vote will entail any of those candidates to be declared as elected, the Returning Officer shall forthwith decide between the candidates by lottery and proceed as if the candidate had received an additional vote and declare him as elected.

**19Q. Custody of record of elections conducted.**— After declaration of the result of election, the Returning Officer shall hand over the ballot papers and records relating to the election of the members of the board and the office bearers to the Chief Executive of the multi-State co-operative society in a sealed cover and all the documents relating to the

election shall be safely preserved by the Chief Executive of the society for a period of six months from the date of election or till such time a dispute regarding election, if any, filed is disposed of, whichever is later, and shall thereafter be destroyed.

**19R. Death of candidate before poll.**— If a contesting candidate dies and a report of his death is received by the Returning Officer before the commencement of the poll, the Returning Officer shall, upon being satisfied of the fact of the death of candidate, countermand the poll and inform the Authority along with the proceedings with reference to the election, and the election shall be commenced in all respect, as if for a new election:

Provided that no further nomination shall be necessary in the case of a person who was a contesting candidate at the time of the countermanding of the poll:

Provided further that no person who has given a notice of withdrawal of his candidature before the countermanding of the poll shall be eligible for being nominated as a candidate for the election after such countermanding:

Provided also that no fresh notice of withdrawal by the candidate whose nomination is accepted before the countermanding shall be accepted by the Returning Officer for the election after such countermanding.

**19S. Preparation of electronic voting machines for polls.**—If the Authority decides to use an electronic voting machine for the poll, it shall direct the procedure thereof, which shall, as far as is technically feasible be in accordance with these rules.

**19T. Election expenses.**— All election related expenditure including stationary, printing, postage, xerox, fax, rent for the ballot boxes, indelible ink, police security and such other items of expenditure related to the election of representatives or directors of a multi-State co-operative society, such as preparation of electoral roll, travelling and other allowances and remuneration payable to the Returning Officer, Assistant Returning Officer and other polling personnel shall be borne by the society and paid to the Authority.

**19U. Account of election expenses.**— (1) Every candidate at an election shall keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorised by him between the date of the order calling the election and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive within the period of thirty days from the date of declaration of the result.

(2) The account shall contain such particulars as may be specified from time to time in addition to the particulars referred to in rule 19W.

(3) The total expenditure shall not exceed the amount as may be specified by the Authority from time to time.

(4) Every contesting candidate at an election shall lodge with the Returning Officer an account of his election expenses within the time and in the manner specified by the Authority from time to time.

**19V. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.**— If the Authority, based on a report from the Returning Officer, is satisfied that a person has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner specified in rule 19U and has no good reason or justification for such failure, the Authority shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified for being elected as, and for being, a member of the board of any society, and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.

**19W. Particulars of account of election expenses.**— (1) The account of election expenses to be kept by a candidate shall contain the following particulars in respect of each item of expenditure from day to day, namely:—

- (a) date on which the expenditure was incurred or authorised;
- (b) nature of the expenditure (as for example, travelling, postage or printing etc.);
- (c) amount of the expenditure:—
  - (i) amount paid;
  - (ii) amount outstanding;
- (d) date of payment;
- (e) name and address of the payee ;
- (f) serial number of voucher, in the case of amount paid;
- (g) serial number of bills, if any, in case of amount outstanding;
- (h) name and address of the person to whom the amount outstanding is payable.

(2) All the vouchers shall be lodged along with the account of election expenses, arranged according to the date of payment and serially numbered by the candidate and such serial numbers shall be entered in the account under item (f) of sub-rule (1).

(3) It shall not be necessary to give the particulars mentioned in item (c) of sub-rule (1) in respect of items of expenditure, for which vouchers have not been obtained.

**19X. Notice by Returning Officer for inspection of accounts.**— The Returning Officer may, within two days from the date on which the account of election expenses has been lodged by a candidate, cause a notice to be affixed to his notice board, specifying—

- (a) the date on which the account has been lodged;
- (b) the name of the candidate; and
- (c) the time and place at which such account may be inspected.

**19Y. Casual vacancies how to be filled in.**— (1) In the event of casual vacancy occurring on account of death, resignation, disqualification or removal of the member of the board of a society or if any member becomes incapable of acting prior to the expiry of his term of office or otherwise, subject to the conditions specified in sub-section (5) of section 45J of the Act, the Chief Executive of the multi-State co-operative society shall communicate such vacancies, within a week of its occurrence, to the Authority, who shall take action to fill the vacancies, according to the provisions of section 45J of the Act.

(2) Any person, who gets filled in the casual vacancy as per the provisions of section 45J of the Act shall hold office for the remainder of the period of the members of the board in whose place, such member has been filled.

**19Z. Maintenance of secrecy of voting.**— Every officer, clerk, agent, or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purposes authorised by or under any law) communicate to any person any information relating to such voting.”

5. In the principal rules, for rule 20, the following rules shall be substituted, namely:—

**“20. Officers, etc., at an election, not to act for candidates or to influence voting.**— (1) No person who is a Returning Officer or an Assistant Returning Officer or a Presiding or Polling Officer at an election, or an officer or clerk appointed by the Returning Officer to perform any duty in connection with an election, shall, in the conduct or the management of the election do any act (other than the giving of vote, if eligible as member) for the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

(2) No such person as aforesaid, and no member of a Police Force, shall—

- (a) persuade any person to give his vote at an election;
- (b) dissuade any person from giving his vote at an election; or
- (c) influence the voting of any person at an election in any manner.

**20A. Functions of Observers.**— The functions of observers appointed by the Authority shall be to supervise the entire election process, and give directions to the Returning Officer and other officers, subject to the general control and superintendence of the Authority, to ensure the smooth and fair conduct of elections of a multi-State co-operative society.

**20B. Directions by the Co-operative Election Authority.**— Subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder, the Co-operative Election Authority may issue directions from time to time, as may be necessary for the conduct of free and fair elections and the Board, members, Chief Executive and staff of the multi-State co-operative society shall comply with such directions issued by the Authority.”.

6. In the principal rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely:—

**“25. The Co-operative Education Fund.**— (1) Every multi-State cooperative society shall credit a sum calculated at one per cent. of its net profits every year as contribution, within six months from the closing of the relevant financial year, towards the account of the Co-operative Education Fund, maintained by the Central Government.

(2) The Co-operative Education Fund shall be maintained and administered by a Committee constituted by the Central Government, consisting of the following members, namely:—

- (a) The Secretary, Ministry of Co-operation - Chairperson;

- (b) The Central Registrar – Member;
- (c) The Financial Adviser to the Ministry of Co-operation – Member;
- (d) Two representatives of multi-State co-operative societies to be nominated by the Central Government on rotation basis for every two years – Members;
- (e) The Secretary, National Council of Co-operative Training, New Delhi– Member;
- (f) The Chief Executive Officer, National Co-operative Union of India Limited, New Delhi - Member
- (g) The Director, Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management, Pune – Member; and
- (h) Representative from National Co-operative University.

(3) The Central Government shall maintain the Co-operative Education Fund in a separate account, and all income by way of interest or otherwise accruing from the contribution towards the fund, shall be credited to the Fund.

(4) No expenditure out of the Co-operative Education Fund shall be incurred without the approval of the Committee constituted under sub-rule (2).

(5) The balance standing in the Co-operative Education Fund maintained by the National Co-operative Union of India Ltd., shall be transferred by the Chief Executive Officer of the National Co-operative Union of India to the Co-operative Education Fund maintained by the Central Government on the date of the notification of these rules.

(6) Subject to such directions as the Committee may give from time to time, the Co-operative Education Fund may be utilised for any of the following purposes, namely:—

- (a) education of the members, directors including office-bearers and employees of multi-State co-operative societies and the general public in the principles and practice of co-operation;
- (b) human resource development in multi-State co-operative societies;
- (c) development of multi-State co-operative societies;
- (d) capacity building and business management;
- (e) professionalisation;
- (f) technical upgradation;
- (g) education, training, national co-operative database, research, manpower and power and related infrastructure;
- (h) research and development;
- (i) development of the co-operative movement in general;
- (j) co-operative awareness and publicity;
- (k) publication of books and journals relating to the cooperative movement;
- (l) conduct of research, case studies and education in the field of co-operative movement;
- (m) award of prize, or honorarium for rendering meritorious service to the cause of the multi-State co-operative movement; and
- (n) any other purpose as may be determined by the Central Government for strengthening the co-operative movement.”.

7. In the principal rules, after Chapter 5, the following Chapter shall be inserted, namely:—

## ‘CHAPTER 5A

## CO-OPERATIVE OMBUDSMAN

**30A. Appointment and Jurisdiction of Ombudsman.**— (1) The Central Government may appoint one or more Co-operative Ombudsmen, to carry out the functions entrusted to such Ombudsman under provisions of the Act and the Central Government shall notify the territorial jurisdiction of each Ombudsman so appointed.

(2) The Ombudsman shall be an individual having professional experience of minimum ten years, a post-graduate degree from any recognised University in India or equivalent, and special knowledge or experience in co-operative management, banking, accountancy, law, public administration or a serving or retired judicial officer not below the rank of District Judge or a serving or retired officer of the Central or State Government, not below the rank of Director.

(3) The Ombudsman shall receive such pay including the dearness allowance and other allowances admissible to a Director in the Government of India.

(4) In the case of an appointment of a person who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, the pay and allowances of such person shall be reduced by gross amount of pension, if any, drawn or to be drawn by him.

(5) An Ombudsman, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the office or on the expiry of his term with the office proceeds to his hometown) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects at the same scale and at the same rate as are applicable for a Director to the Government of India.

(6) The Ombudsman shall not be entitled to government accommodation but shall be eligible to draw the house rent allowance applicable for a Director to the Government of India.

(7) For multi-State Co-operative Society Banks, the Ombudsmen shall be appointed by the Reserve Bank of India.

**30B. Tenure of Ombudsman.**— The term of office of the Ombudsman shall be three years from the date on which he enter office or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment for one more term.

**30C. Office of Ombudsman.**— The office of the Ombudsman shall be at such place as may be notified by the Central Government.

**30D. Officers and staff.**—The Central Government may provide such officers and staff to the Ombudsman, as it may think necessary for the discharge of functions by the Ombudsman.

**30E. Complaints or appeals that may be considered by the Ombudsman.**— The Ombudsman shall consider the following categories of complaints or appeals, from members, as the case may be—

- (a) complaints by members regarding their deposits, equitable benefits of the multi-State co-operative society's functioning; and any other issue affecting such member's individual rights, under sub-section (1) of section 85A; and
- (b) appeals preferred under sub-section (4) of section 106, by members against the order passed by the Co-operative Information officer:

Provided that any dispute which is the subject matter of any past or ongoing arbitration proceedings under section 84, or any other pending or settled proceedings shall stand excluded from the jurisdiction of the Ombudsman.

**30F. Nature of complainant or appellant before the Ombudsman.**— An aggrieved member of a multi-State co-operative society may file a complaint or prefer an appeal, as the case may be, before the Ombudsman either personally or through an authorised representative:

Provided that for the purposes of this rule and the filing of a complaint or an appeal before the Ombudsman, the “authorised representative” shall not include an advocate.

**30G. Non-maintainability of complaint or appeal.**— (1) A complaint or an appeal, as the case may be, shall not lie unless the following conditions are fulfilled—

- (a) in an appeal under sub-section (4) of section 106 of the Act, the appeal shall be filed within a period of one month from the date of such order being challenged;

(b) in a complaint under sub-section (1) of section 85A of the Act—

(A) the complainant had, before approaching the Ombudsman made a written representation on the issue to the multi-State co-operative society, and if—

- (i) such representation was rejected;
- (ii) no reply was received within a period of one month after submitting the representation; or
- (iii) the complainant is not satisfied with such reply.

(B) the complaint is filed not later than one month after the complainant has received the reply of the multi-State co-operative society or, where no reply is received, not later than two months after such representation was made;

(c) the complaint or appeal is not abusive or frivolous or vexatious in nature; and

(d) the complainant or appellant provides complete information required for disposal of the complaint.

(2) No complaint shall be made or no appeal shall be preferred, as the case may be, to the Ombudsman on an issue which—

- (a) has been or is the subject matter of any proceeding in an appeal, revision, reference or writ, before any Authority, Tribunal, Court, or Central Registrar;
- (b) has been or is the subject matter of any arbitral proceeding under section 84; or
- (c) is in respect of the same subject matter which was settled through the Ombudsman in any previous proceedings, whether or not received from the same complainant or appellant, or along with any one or more complainants or appellants, or any one or more of the parties concerned with the subject matter.

**30H. Form and manner of complaint or appeal.**—(1) A complaint by a member to the Ombudsman may be submitted through the physical or electronic mode (including a written complaint) or through an online portal designed for this purpose and notified by the Central Government.

(2) A complaint shall be submitted in Form VI annexed to these rules.

(3) An appeal shall be submitted in Form VII annexed to these rules.

**30-I. Procedure for handling complaints and appeals by Ombudsman.**— The Ombudsman shall deal with the complaints and appeals, which were brought before him, in the following manner, namely:—

- (a) the Ombudsman shall endeavour to follow the principles of natural justice, as far as is practicable, including providing a copy of the complaint or appeal, as the case may be, to the multi-State co-operative society, and providing such multi-State co-operative society an opportunity of being heard or responded;
- (b) if no such response is forthcoming from the multi-State co-operative society, the Ombudsman shall proceed to decide the complaint or appeal, as the case may be, on the basis of the information available before him; and
- (c) the Ombudsman shall complete the process of inquiry and adjudicate the complaint or appeal within a period of three months, from the date of receipt of the complaint or appeal, as the case may be, by a speaking order.

**30J. Appeal to the Central Registrar.**—(1) An appeal may be filed against the directions of the Ombudsman before the Central Registrar under sub-section (3) of section 85A in Form VIII annexed to these rules, within one month from the date of the order of the Ombudsman.

(2) The Central Registrar may, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, within a period of forty-five days, from the date of filing of appeal may—

- (a) dismiss the appeal; or
- (b) allow the appeal and set aside the directions passed by the Ombudsman; or
- (c) remand the matter to the Ombudsman for fresh disposal in accordance with such directions as the Central Registrar may consider necessary or proper; or
- (d) modify the directions of the Ombudsman and pass such directions as may be necessary to give effect to the directions of the Ombudsman so modified; or

(e) pass any other decision as he may be deem fit and proper in the circumstances of the case.

(3) The decision of the Central Registrar passed under sub-rule (2) shall be final and binding on all the parties.”.

8. In the principal rules, for Chapter 8, the following Chapter shall be substituted, namely: —

**“APPLICATION TO THE CO-OPERATIVE INFORMATION OFFICER”**

**35. Manner of application to the Co-operative Information Officer under sub-section (2) of section 106.**— (1) A member who desires to obtain information under sub-section (1) of section 106 of the Act, shall make an application in writing or through electronic means to the Co-operative Information Officer in Form IX annexed to these rules.

(2) A member making an application under sub-rule (1) shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details, except those that may be necessary for contacting him.

(3) The application fee, other charges for supplying the information and manner of payment shall be such as prescribed under the provisions of the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005.”.

9. In the principal rules, after chapter 8, the following chapter shall be inserted, namely: —

**“CHAPTER 8A**

**NATIONAL CO-OPERATIVE SOCIETIES**

**35A. Designation of National Co-operative Society.**—(1) Subject to the provisions of section 116 of the Act, the Central Government may designate a multi-State co-operative society as a National Co-operative Society and the Central Government shall consider the following before such designation—

- (a) The area of operation of such society extends to the whole of India; and
- (b) Member co-operative societies admitted in the said society represents all the States and Union territories.

(2) A multi-State co-operative society designated as a National Co-operative Society under Second Schedule to the Act shall comply with the provisions of sub-rule (1), within six months from the date of publication of these rules.

(3) A National Co-operative Society shall, in accordance with the provisions of section 120 of the Act, file returns with the Central Registrar, providing the details that —

- (a) it has complied with the provisions of sub-rule (1);
- (b) it has complied with functions of federal co-operatives under section 24 of the Act;
- (c) it has taken steps for strengthening the cooperative movement in the country and deepening its reach to the grassroots in its area of work; and
- (d) the promotion of cooperative-based economic development model in its area of work, including the spirit of responsibility among its members to develop the country.

**35B. Omission of National Co-operative Societies from Second Schedule.**— Subject to provisions of section 116 of the Act, the Central Government may omit a National Co-operative Society from the Second Schedule of the Act, if it fails to comply with provisions of sub-rule (1) of rule 35A of these rules or on the ground of being non-functional.”.

10. In the principal rules, after rule 37, the following rules shall be inserted namely:—

**“37A. Recruitment of employees in Co-operative Societies.**— The recruitment of employees at various levels would be carried out through a transparent, objective and adequately publicised competitive process as per the educational and experience criteria specified in the bye-laws of the society.

**37B. Qualifications for Chief Executive of non-credit multi-State co-operative societies.**—The person to be appointed as Chief Executive of a non-credit multi-State co-operative society shall satisfy the following criteria, namely:—

- (a) shall be a graduate or have a diploma or equivalent in co-operative business management, agri-business management, dairy sector management, fisheries management, finance, chartered accountancy, cost accountancy, law, commerce, science, humanities, technology or any other relevant discipline; and
- (b) at least three years’ work experience in the co-operative sector:



Provided that a person with less than three years' work experience may be appointed by a special resolution passed by three-fourth of the board members, in which case the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such person.

**37C. Recovery of proceeds under sub-section (6) of section 104.—** (1) The competent court while passing an order under sub-section (6) of section 104 shall record the amount of unlawful gains made by the board of directors or officers of the multi-State co-operative society, jointly or severally, and from whom such unlawful gains shall be payable.

(2) A copy of the order referred to in sub-rule (1) shall be sent to the Central Registrar by the competent court referred to in sub-section (1) of section 105.

(3) Amount referred to in sub-rule (1) shall be treated as 'sums due' under section 98 and shall be recovered accordingly.

(4) The amount recovered as unlawful gains under sub-section (6) of section 104 shall be deposited in the Co-operative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund established under sub-section (1) of section 63A.

**37D. Creation of electronic registry, database or portal by Central Government.—** The Central Government may set up and maintain a secure electronic registry, database or portal in which all applications, returns, reports, statement of accounts, registers, byelaws, or any other particulars or documents and returns required to be filed under the Act or the rules made thereunder, are electronically stored.

**37E. Manner of filing documents electronically under Act and rules made thereunder.—** (1) Every application, communication, document, intimation, notice, return, report, statement of account, or any other particulars or document as may be required to be filed or delivered or served under this Act or the rules made thereunder shall be filed or delivered or served in computer readable electronic form, in portable document format (PDF) or in such other format as decided by the Central Registrar in respect of such application or form or document or declaration, to the Central Registrar through the portal maintained by the Central Government.

(2) Any correspondences (physically or electronically) and documents to be filed by any person shall contain the name, designation, address, membership number of the person signing such document and make sure correctness thereof and in no case, correspondences, merely with signature and writing authorized signatory shall be acceptable.

**37F. Electronic maintenance, registration, and authentication of documents under Act and rules made thereunder.—** (1) Every application, return, reports, statement of accounts, registers, bye-laws or any other particulars or document as may be required to be filed or delivered under the Act or the rules made thereunder shall be maintained by the Central Registrar in electronic form, and if required to be registered or authenticated, as the case may be by the Central Registrar under the Act or rules made thereunder, shall be registered or authenticated through affixing an electronic signature; or by an electronic signature certificate, consistent with the provisions of the Information Technology Act, 2000, the Aadhaar (Targeted. Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, and such other laws as may be applicable, including any rules, regulations, guidelines, notifications, or circulars made under those legislations.

(2) For the authentication of electronic signatures referred to in sub-rule (1), the procedure laid down under the Information Technology Act, 2000, and other relevant laws, including any rules, regulations, guidelines, notifications, or circulars issued thereunder, shall be applicable.

**37G. Electronic issuance of documents and communication by Central Registrar under section 120A.—** (1) The Central Registrar shall perform duties or discharge functions or exercise powers under the Act or the rules made thereunder or do any act which is to be performed or discharged or exercised or done by the Central Registrar, as the case may be, in the electronic mode.

(2) Where the Central Registrar is not able to issue any certificate, receipt, endorsement, acknowledgement or approval or any other document or communication under the Act or the rules thereunder in electronic mode, for reasons to be recorded in writing, he may issue the same in physical form under manual signature affixing seal of his office.

(3) The Central Registrar may send any document, notice or any communication or intimation, as may be required to be served or delivered under the Act or the rules made thereunder, to the multi-State co-operative society, its authorised representatives or board of directors or both, in the electronic manner.

(4) Every multi-State co-operative society shall create and maintain at all times a valid electronic address, including an e-mail, user identifications capable of receiving and acknowledging receipt of such document, certificate, notice or other communication, automated or otherwise, and inform any changes in such electronic address to the Central Registrar within fifteen days of such change.”.

11. In the principal rules, Schedule shall be omitted.
12. In the principal rules, for Form III, the following Form shall be substituted, namely:—

**“FORM III**

[See rule 19J]

**NOMINATION FORM FOR ELECTIONS OF BOARD OF DIRECTORS**

1. Name of the multi-State co-operative society:
2. Society and Address:
3. Name of the candidate in case of an Individual member or name of the delegate and the member cooperative Society or multi-State cooperative society which he is representing:
4. Serial no. in the register of members:
5. Father’s/Mother’s or spouse’s name (in case of individual member):
6. Address:
7. Name of the proposer in case the proposer is an individual member and the name of the society and the delegate in the case proposer is a delegate of a society:
8. Serial no. of the proposer in the Register of members:
9. Signature of the proposer:
10. Name of the seconder when the seconder is an individual member and name of the society:
11. Serial no. of the seconder in the register of members:
12. Signature of the seconder:

**CANDIDATES DECLARATION**

I....., s/o ....., Member No..... of .....society hereby declare that I am willing to stand for election and that, to the best of my knowledge and belief I am qualified and have not incurred any disqualification for membership of the board of \_\_\_\_\_ multi-State co-operative society in terms of the Act, the rules made thereunder and the bye-laws of the multi-State cooperative society.

(Signature of the candidate)

**ENDORSEMENT BY THE RETURNING OFFICER**

This nomination Form was presented to me in person by \_\_\_\_\_/ received by registered post on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ hrs.

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature of Returning Officer Or person authorised by him.”.

13. In the principal rules, for Form IV, the following Form shall be substituted, namely:—

**“FORM IV**  
[See rule 19M]

**APPLICATION FOR APPOINTING ELECTION AGENT**

I, \_\_\_\_\_ name of father/mother/spouse \_\_\_\_\_ member of \_\_\_\_\_ (name of the society) contesting for election of members of board of directors/office bearers do hereby nominate the following person as my election agent/counting agent in the election \_\_\_\_\_(name of the society) to be held on \_\_\_\_\_(specify the date).

Name of the Agent:

I.D/AAdhaar No.....

Counter signature of the Agent.

Name and Signature of the candidate”.

14. In the principal rules, for Form V, the following Forms shall be substituted, namely: -

**“FORM V**  
[See rule 19N]

**NOMINATION FORM FOR ELECTION OF OFFICE BEARERS**

1. Name of the multi-State co-operative and Address:
2. Offer for which contesting:
3. Name of the candidate in case of an Individual member or name of the delegate and the member cooperative Society or multi-state cooperative society which he is representing:
4. Serial no. in the register of members:
5. Father’s/Mother’s/Spouse’s name (in case of individual member):
6. Address:
7. Name of the proposer in case the proposer is an individual member and the name of the society and the delegate in the case proposer is a delegate of a society:
8. Serial no. of the proposer in the Register of members:
9. Signature of the proposer:
10. Name of the seconder when the seconder is an individual member and name of the society:
11. Serial no. of the seconder in the register of members:
12. Signature of the seconder:

**CANDIDATES DECLARATION**

I....., s/o ....., Member No..... of .....society hereby declare that I am willing to stand for election and that, to the best of my knowledge and belief I am qualified and have not incurred any disqualification for membership of the board of \_\_\_\_\_ multi-State co-operative society in terms of the Act, the rules made thereunder and the bye-laws of the multi-State cooperative society.

(Signature of the candidate)

**ENDORSEMENT BY THE RETURNING OFFICER**

This nomination Form was presented to me in person by \_\_\_\_\_/ received by registered post on \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ hrs.

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature of Returning Officer or person authorised by him.

**FORM VI**

[See rule 30H (2)]

**FORM OF COMPLAINT**

(TO BE FILLED UP BY THE COMPLAINANT)

[All fields are mandatory except wherever indicated otherwise]

To  
The Co-operative Ombudsman

Madam/Sir,

Sub: Complaint against ..... (Name of the multi-State co-operative society)

1. Name of the complainant:

2. Age (years):

3. Gender:

4. Full address of the complainant:

- Pin Code:
- Phone No. (if available):
- Mobile Number:
- E-mail (if available):

5. Complaint against: (Name and full address of the multi-State co-operative society)

6. Membership number, or relevant details relating to membership:

7. Mode of filing: Through portal/in physical form/electronically (Please tick the appropriate option)

8. (a) Date and details of complaint already made by the complainant to the multi-State co-operative society: (Please enclose a copy of the complaint)

(b) Whether such complaint was rejected or no reply was received within one month from the date of such complaint or whether the complainant is not satisfied with the reply of the multi-state co-operative society?

(c) Whether the complaint has been made not later than one month after the reply of the multi-state co-operative society; or where no reply is received, not later than two months from the date of making the complaint to such society?

9. Please tick the relevant box (Yes/No):

Whether your complaint:

- is sub-judice before any Authority, Tribunal, Court, or the Central Registrar or is the subject matter of arbitration under section 84? Yes/No

- is in respect of the same subject matter which was settled through the Ombudsman in any previous proceedings, whether or not instituted by the same complainant, or along with any one or more complainants, or any one or more of the parties concerned with the subject matter? Yes/No
- is made through an authorised representative? Yes/No

10. Details of the complaint:

11. Relief sought from the Ombudsman: *(Please enclose a copy of documentary proof, if any, in support of your claim)*

12. List of documents enclosed:

#### Declaration

(i) I, \_\_\_\_\_ s/o \_\_\_\_\_, the complainant herein declares that—

(a) the information furnished above is true and correct; and

(b) I have not concealed or misrepresented any fact stated above and the documents submitted herewith.

(ii) (a) Where a response from the multi-State co-operative society has been received: The complaint is filed before the expiry of one month after receiving the reply of the multi-State co-operative society;

(b) Where a response from the multi-State co-operative society has not been received: The complaint is filed before the expiry of two months after the representation to the multi-State co-operative society was made.

Yours faithfully

(Signature of the Complainant/Authorised Representative)

#### AUTHORISATION

If the complainant wants to authorise a representative to appear and make submission on her/his behalf before the Ombudsman, the following declaration shall be submitted:—

I \_\_\_\_\_, s/o \_\_\_\_\_, the complainant hereby nominate Shri/Smt. \_\_\_\_\_ as my authorised representative whose contact details are as below:

Full Address:

Pin Code:

Phone No:

Mobile Number:

E-mail:

Yours faithfully,

(Signature of the Complainant)

**FORM VII**  
[See rule 30H (3)]  
**FORM OF APPEAL AGAINST DECISION OF THE CO-OPERATIVE INFORMATION OFFICER**

*[All fields are mandatory except wherever indicated otherwise]*

To

The Co-operative Ombudsman

Madam/Sir,

Sub: Appeal against ..... (Name of the multi-State co-operative society)

Details of the appeal:

1. Name of the appellant:

2. Age (years):

3. Gender:

4. Full address of the appellant:

- Pin Code:
- Phone No. (if available):
- Mobile Number:
- E-mail (if available):

5. Appealed against: *(Name and full address of the multi-State co-operative society)*

6. Membership number, or relevant details relating to membership:

7. Mode of filing: Through portal/in physical form/electronically *(Please tick the appropriate option)*

8. (a) Date and details of application by the appellant to the Co-operative Information Officer: *(Please enclose a copy of the complaint)*

(b) Whether the requisite information has or has not been received from the Co-operative Information Officer within the period of thirty days from the date of receipt of application, as indicated under sub-section (3) of Section 106 of the Act? Yes/No *(please enclose a copy of the reply)*

9. Please tick the relevant box (Yes/No):

Whether your appeal:

- is made through an authorised representative? Yes/No
- has already been dealt with or is under process on the same ground with the Ombudsman? Yes/No

10. Details of the appeal:

11. Relief sought from the Ombudsman in this appeal:

12. List of documents enclosed:

**Declaration**

(i) I, .....,s/o.....the appellant herein declare that—

(a) the information furnished above is true and correct; and

(b) I have not concealed or misrepresented any fact stated above and the documents submitted herewith.

(ii) The appeal is filed before the expiry of one month from the date of the orders of the Co-operative Information Officer, in accordance within the time-period provided under sub-section (4) of section 106.

Yours faithfully

(Signature of the Appellant/Authorised Representative)

**AUTHORISATION**

If the complainant wants to authorise a representative to appear and make submission on her/his behalf before the Ombudsman, the following declaration shall be submitted:—

I ..... , s/o....., the complainant hereby nominate Shri/Smt..... as my authorised representative whose contact details are as below:

Full Address:

Pin Code:

Phone No:

Mobile Number:

E-mail:

Yours faithfully,

(Signature of the Appellant)

**FORM VIII**

[See rule 30J (1)]

**FORM OF APPEAL BEFORE THE CENTRAL REGISTRAR**

[All fields are mandatory except wherever indicated otherwise]

To  
The Central Registrar

Madam/Sir,

Sub: Appeal against decision of the Co-operative Ombudsman dated .....by.....  
(Name of the appellant)

Details of the appeal:

1. Name of the appellant:

2. Full address of the appellant:

- Phone No. (if available):
- E-mail (if available):

3. Appeal against: *(Details of the directions passed by the Co-operative Ombudsman, with date and other particulars)*

4. Mode of filing: Through portal/in physical form/electronically *(Please tick the appropriate option)*

5. Details of the appeal:

6. (a) Date and details of original complaint made to the Ombudsman: *(Please enclose a copy of the original complaint, along with all relevant documents)*

(b) Details of directions passed by the Ombudsman: *(Please enclose a copy of the direction(s) passed by the Ombudsman, along with copies of all relevant documents)*

7. Please tick the relevant box (Yes/No):

Whether your appeal is made through an authorised representative? Yes/No

8. Relief sought from the Central Registrar, in appeal: *(Please enclose a copy of all documentary proofs, if any, in support of your appeals)*

9. List of documents enclosed:

**Declaration**

(i) I,.....,s/o....., the appellant herein declare that—

(a) the information furnished above is true and correct; and

(b) I have not concealed or misrepresented any fact stated above, and in the documents submitted herewith.

(ii) (a) If the appeal is being filed on-time: The appeal is filed before the expiry of one month reckoned in accordance with section 85A(3).

(b) If the appeal is being filed after the expiry of one month on account of sufficient cause: The appeal is filed after the expiry of one month, as provided under Section 85A(3), for sufficient cause being the following:

*(Please indicate such cause here).*

Yours faithfully,

(Signature of the Appellant/Authorised Representative)

**AUTHORISATION**

If the complainant wants to authorise a representative to appear and make submission on her/his behalf before the Ombudsman, the following declaration shall be submitted:—

I ..... , s/o....., the complainant hereby nominate Shri/Smt..... as my authorised representative whose contact details are as below:

Full Address:

Pin Code:

Phone No:

Mobile Number:

E-mail:

Yours faithfully,

(Signature of the Appellant)

**FORM IX**

[See rule 35(1)]

**APPLICATION TO THE CO-OPERATIVE INFORMATION OFFICER**

Application number (For Official use):

Dated:

To:

The Co-operative Information Officer,  
[Name of multi-State co-operative society]  
[Address]  
[State]  
[PIN Code]



Subject: Request for information under sub-section (2) of Section 106 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002

Sir,

1. I [*name*] Son/Daughter/Wife of [*name*] Resident of [*address*] wish to seek the following information, under sub-section (2) of section 106 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002.
2. The information pertains to the [*name of Multi-State Co-operative Society*] as per details given below:
3. I certify that I am a member of the [*name of Multi-State Co-operative Society*] [*as on date*], with membership number.....
4. I certify that the information requested under para 1 is confined to information relating to affairs and management of the [*name of Multi-State Co-Operative Society*] and that this information is confined to the information falling under the disclosure norms specified by the [*name of Multi-State Co-operative Society*] in its bye-laws, as per sub-section (1) of section 106 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002.
5. I have deposited the required amount towards application fee (*Receipt enclosed*) vide receipt no. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.
6. I also undertake to pay any additional fees/charges (if applicable) as may be required to be paid the relevant rules.

Yours faithfully,

(Signature of the Member)

Address:

Membership number, or relevant details relating to membership:

Telephone No:

E-mail Address:

Date:

[Enclosed: Receipt No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_, towards application fees]".

[F. No. L-11012/02/2002-L&M (Part II)

VIJAY KUMAR, Special Secy.